राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] तेरहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 4

शुक्रवार;

03 सितम्बर, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण) से दिनांक 3.9.2010 को राजस्थान पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन में अवैध रूप से एकत्रित हुई भीड़ को हिंसा फैलाने के लिए भड़काने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अवैध रूप से नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, अवैध रूप से नहीं हुई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: ...एवं कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के सम्बन्ध में कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु श्री ओम बिड़ला, विधायक, कोटा (दक्षिण) को आज दिनांक 3.9.2010 को समय 2.40 ए.एम. पर उद्योग मैदान, स्टेच्यू सर्किल के पास से व श्री पवन दुग्गल, विधायक, अनूपगढ़, श्री अमराराम, विधायक, दांतारामगढ़ व श्री राजेन्द्र राठौड़, विधायक, तारानगर को दिनांक 3.9.2010 को समय 7.00 ए.एम. पर स्टेच्यू सर्किल से धारा-151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री बनवारी लाल सिंघल। श्री बनवारी लाल सिंघल।

(प्रश्न नहीं पुकारा)

(तारांकित प्रश्न संख्या 50 कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

श्रीमती अनिता सिंह।

(प्रश्न नहीं पुकारा)

(तारांकित प्रश्न संख्या 51 कृपया आगे देखें)

श्री रामहेत सिंह।

(तारांकित प्रश्न संख्या 52 कृपया आगे देखें)

कर्नल सोनाराम चौधरी।

बाड़मेर जिले में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के तेल दोहन से प्राप्त रायल्टी

53. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से क्रूड आयल निकाला जा रहा है? यदि हां, तो प्रतिमाह कितना आयल निकाल कर बाहर भेजा जाता है?

(2) उक्त तेल के दोहन से राज्य सरकार को अब तक कुल कितनी रायल्टी मिली है?

(3) क्या सरकार इस प्राप्त रायल्टी की आय में से कुछ हिस्सा बाड़मेर जिले में व्याप्त पेयजल संकट के निवारण हेतु एवं अन्य विकास कार्यों पर व्यय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और कैसे व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री रामलाल): (1) जी हां। बाड़मेर जिले में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से दिनांक 29.08.2009 से क्रूड आयल का उत्पादन आरम्भ किया गया। वर्तमान में लगभग 4 लाख मैट्रिक टन प्रतिमाह का उत्पादन किया जा रहा है।

(2) राज्य सरकार को क्रूड आयल के दोहन से जुलाई, 2010 तक कुल रुपये 302.42 करोड़ रायल्टी के रूप में प्राप्त हुए हैं।

(3) रायल्टी से प्राप्त आय राज्य की समेकित निधि में जमा होती है। विभिन्न विकास कार्यों पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित निर्णय पृथक से लिये जाते हैं जिनका मद विशेष तथा क्षेत्र विशेष से प्राप्त आय से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का बाड़मेर में आयल निकलता है वह मेरे बायतू

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

से सम्बन्धित है। यह सवाल वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित है इसमें मैंने पूछा है कि इसमें जो रायल्टी से राशि आ रही है वह बाड़मेर में खासकर के जलदाय योजना में कितने प्रतिशत खर्च करेंगे? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

इस रायल्टी से प्राप्त आय को... (व्यवधान) बाड़मेर में क्रूड आयल निकल रहा है, रायल्टी मिल रही है, आज आयल राजस्थान से निकल रहा है, राजस्थान को रायल्टी मिल रही है। यही आयल अगर गुजरात में निकलता, पंजाब में निकलता, हरियाणा में निकलता, केरल में निकलता तो उनको मिलती। अब बाड़मेर में निकल रहा है और बाड़मेर में रायल्टी मिल रही है। (व्यवधान) 302 करोड़ मिली है। अगस्त के शुरूआत में प्रधान मंत्री आये थे, अगस्त से लेकर के जुलाई तक सिर्फ टैंकर से जाता था उससे करीब 30 हजार बैरल पर-डे जाता था। अब वह बंद करके पाइप लाइन से जा रहा है और पाइप लाइन से एक लाख 25 हजार के करीब जा रहा है और आगे बढ़कर के एक लाख 75 हजार हो जाएगा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल तो होने दो। 10-5 मिनट तो दो। (व्यवधान) प्रश्नकाल तो होने दो। बैठ जाओ न। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): उससे रायल्टी करीब 8 गुना हो जाएगी यह आप जानते हो और हर साल करीब 2 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। क्योंकि यह आयल बाड़मेर से निकलता है तो, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, आपका डिपार्टमेंट तो नहीं है पर यहां वित्त मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी भी विराजमान नहीं हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि दो हजार करोड़ रुपये पांच साल में जो रायल्टी मिलेगी उसमें से आधी राशि बाड़मेर में, जो वहां की जलदाय योजना है उसको दिया जाए। वहां तीन चार जलदाय योजनाएं हैं। (व्यवधान) एक तो बाड़मेर लिफ्ट, पोकरण, फलसूण हरिके बैराज है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू में आती है। तीसरा है उम्मेर सागर। (व्यवधान) चौथी है जो नर्मदा से है। उनको पानी के लिए आधा मिलना चाहिए। (व्यवधान) पिछली सरकार ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल गलत जवाब दिया है। यह जवाब दिया है कि इससे इसका सम्बन्ध नहीं है। कैसे सम्बन्ध नहीं है? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

एक मिनट। मैं कहना चाहता हूं कि एमपीटी में 18 वैल हैं, उन 18 वैल में से 16 वैल मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू में आ रहे हैं। वहां पर पीने का पानी नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि इसके अन्दर आधा मिलना चाहिए और यदि इसमें एक पैसा नहीं दिया तो वहां के लोग बहुत आक्रोश में हैं, बहुत गुस्से में हैं और वहां के लोग मजबूरी में धरना देंगे या इस तरह से करेंगे जो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मुख्य मंत्रीजी आज यहां हैं नहीं, जिनके पास वित्त मंत्रालय है, उनसे, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इनमें से आधा पैसा जो जलदाय योजना है उनके लिए आबंटित करें। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया। (प्रश्न नहीं पुकारा-कृपया प्रश्न संख्या 54 आगे देखें)

श्री बाबूसिंह राठौड़।

(प्रश्न नहीं पुकारा-कृपया प्रश्न संख्या 55 आगे देखें) डा. रघु शर्मा। एक मिनट प्लीज ठहरिये। मंत्रीजी, बैठिये। श्री बाबूसिंह राठौड़। अपनी सीट पर जाकर, अपनी सीट पर जाकर, अपनी सीट पर जाकर। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न मैंने किये हैं इनके जवाब मुझे मिले नहीं हैं। सरकार ने क्या जवाब दिया है उसकी मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कम से कम यह व्यवस्था तो करवा दीजिये कि जो सवाल हम लोग उठाते हैं उनके जवाब मिल जाएं। मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। इस प्रश्न का जवाब नहीं है मेरे पास।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हमने तो भिजवा दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह जलदाय मंत्रीजी ने जवाब पेश कर दिया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: मैं इसको देखूंगा कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। आप प्रश्न करिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तो मैं प्रश्न कहां का पूछूं माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: विधान सभा सचिवालय ने जवाब भेजा है मैं इसकी जानकारी कराऊंगा और कहीं गलती रही है तो उसके बाद देखूंगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लेकिन मैं पूरक प्रश्न कहां से पूछ पाऊंगा फिर? मंत्रीजी का जवाब भी नहीं आया कोई।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ जायेगा।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हमने तो सचिवालय को भेज दिया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अभी जवाब दे दें यहां पर। पहले जवाब नहीं मिला, अभी जवाब दे दें यहां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये, मंत्रीजी। यह गलती कैसे हुई? व्यवस्था कैसे नहीं हुई? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के गांवों को बीसलपुर योजना से जलापूर्ति

56. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के कितने गांवों को बीसलपुर योजना से जोड़ा जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के जिन गांवों को अभी तक बीसलपुर योजना से नहीं जोड़ा गया है, सरकार उन्हें कब तक उक्त योजना से जोड़े जाने का विचार रखती है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर बांध से वर्तमान में कितने दिनों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है? क्या सरकार प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(4) वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

जल संसाधन मंत्री (श्री महीपाल मदेरणा): (1) वर्ष 2001 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के कुल 186 ग्रामों में से 164 ग्रामों को बीसलपुर बांध आधारित पेयजल योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) उक्त क्षेत्र के बीसलपुर योजना से जुडने से वंचित कुल 22 ग्रामों में से 14 ग्रामों की बीसलपुर बांध आधारित योजनाएं स्वीकृत हैं। बीसलपुर बांध में पानी की आवश्यक मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर इन ग्रामों को जोड़ना प्रस्तावित है।

(श्री महीपाल मदेरणा)

शेष आठ ग्रामों में से छह ग्राम बांध के डूब क्षेत्र में एवं दो ग्राम गैर आबाद होने के कारण इन्हें बीसलपुर योजना से नहीं जोड़ा जाना है।

(3) इस वर्ष वर्षा पूर्व बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता कम होने के कारण माह जुलाई, 2010 के तृतीय सप्ताह से उक्त क्षेत्र के केकड़ी एवं सरवाड़ कस्बे में 120 घंटे के अन्तराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बांध से पेयजल आपूर्ति पूर्णतया बंद है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बांध में जल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करना सम्भव नहीं है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों (164 ग्राम) में 48 घंटे के अन्तराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(4) उपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के केकड़ी एवं सरवाड़ कस्बे तथा 164 ग्रामों में बीसलपुर बांध आधारित जल योजनाओं से वर्तमान में 48 घंटे के अन्तराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

14 ग्रामों में से एक ग्राम पम्प एवं टैंक योजना से तथा 13 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं जिन्हें बीसलपुर बांध में पानी की आवश्यक मात्रा उपलब्धता सुनिश्चित होने पर जोड़ना प्रस्तावित है। (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, यह 14 गांवों को, मतलब कुल 22 गांव अभी तक मेरे यहां नहीं जुड़े हुए हैं, उनमें से 14 गांवों को कब तक सरकार जोड़ देगी? बार-बार, पिछली बार भी मैंने सवाल उठाया था, तब इन्होंने यही कहा था कि हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, यह आश्वासन कब तक देती रहेगी सरकार और जो बचे हुए गांव हैं, उनके लिए वैकल्पिक जल प्रबन्धन की क्या व्यवस्था सरकार ने की है? जब गर्मी का मौसम था, कंटीन्जेंसी प्लान के तहत सरकार ने जगह-जगह हैण्डपम्प खोदने के लिए पैसे दिये और टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की, वह व्यवस्था पूरी बंद कर दी है वर्तमान में। न जलदाय विभाग बीसलपुर का पानी दे रहा है, न टैंकरों से सप्लाई हो रही है, ऐसे में उन गांवों में पेयजल की भीषण किल्लत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पहले जो वैकल्पिक व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से

(डा. रघु शर्मा)

गांव में पानी के प्रबन्धन के लिए सरकार द्वारा तय की गई थी, उनको जारी रखने का सरकार का इरादा है या नहीं है, इसका जवाब दें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध का जल स्तर 307 मीटर से ऊपर है और इस साल से ये 14 प्रस्तावित गांवों को बीसलपुर बांध से पानी देने की योजना है। (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे पृष्ठ संख्या-23 पर देखें)

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.13 बजे, दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 12.00 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति । कृपया विराजें।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

नगेन्द्र बाला, श्रीमती, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुई इस विधान सभा की पूर्व सदस्या श्रीमती नगेन्द्र बाला के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्या श्रीमती नगेन्द्र बाला का जन्म 13 सितम्बर, 1926 को कोटा में हुआ। आपने विशारद् की शिक्षा प्राप्त की। श्रीमती नगेन्द्र बाला तीसरी तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस की विधायक रहीं। आपने तीसरी विधान सभा में छबड़ा तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में दीगोद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति की सभापति रहीं। श्रीमती नगेन्द्र बाला अपने सार्वजनिक जीवन में समाज कल्याण बोर्ड, आल इण्डिया रेडियो सलाहकार समिति,

(श्री अध्यक्ष)

डिवीजनल रेलवे सलाहकार बोर्ड तथा प्रदेश महिला परामर्शदात्री समिति की सदस्य रहीं। आप वर्ष 1982 से 1988 तक समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी रहीं। आप पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद कोटा जिला परिषद की प्रथम प्रमुख रहीं। अध्ययन एवं समाज सेवा में रूचि रखने वाली श्रीमती नगेन्द्र बाला की कवितायें, गद्य-काव्य एवं निबन्ध स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। अनेक समाजसेवी संस्थाओं से सम्बद्ध रही श्रीमती नगेन्द्र बाला कांग्रेस सेवा दल तथा युवक कांग्रेस की भी सदस्य रहीं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला का दिनांक 1 सितम्बर, 2010 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्रीमती नगेन्द्र बाला को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई)

ओम् शांति।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में नहीं आना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, 164 । अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न काल के समय आपने जो सदन को सूचित किया वह आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन उसमें नियमों की अवहेलना हुई है, उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो राजस्थान विधान सभा में आते हैं, माननीय गृह मंत्रीजी, उनका यह अधिकार है कि उनको विधान सभा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में आने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ परिस्थितियों को छोड़ कर। जब रोका जाता है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय को इससे सूचित किया जाता है और सूचना देने में जिन-जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उसका भी अपने नियमों में प्रावधान किया हुआ है, पहले उसमें पढ़ कर मैं आपको बताता हूं, बाद में अपनी बात दो मिनट में समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, नियम 164- जब कोई सदस्य दण्ड, दोषारोपण, किसी दण्ड अपराध के लिए बंदी किया जाय, उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरूद्ध किया जाय तो यथास्थिति दण्ड देने वाला न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका अधिकारी तृतीय अनुसूची में दिये गये समुचित रूप, प्रपत्र में यथास्थिति बंदीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा। अब अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना दी गई है, माननीय गृह मंत्रीजी, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण) से दिनांक 03.09.2010 को राजस्थान पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन में अवैध रूप से एकत्रित भीड़ को हिंसा फैलाने के लिए, पहली बात यह है कि आपको गलत तथ्यों की जानकारी दी गई, नीचे उन्होंने लिखा है कि इनको सुबह सात बजे गिरफ्तार किया गया है, यह मीटिंग परसों हुई, तथ्यों की गलत सूचना आपको देना, मैं आगे पढ़ता हूं, अवैध रूप से एकत्रित भीड़ को हिंसा फैलाने के लिए भड़काने, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, कानून-व्यवस्था कायम रखने हेतु ओम बिरला, विधायक कोटा (दक्षिण) को आज 3.9.2010 को समय 2.40 ए.एम. पर उद्योग मैदान, रात को, स्टेच्यू सर्किल के पास से और पवन दुग्गल, विधायक अनूपगढ़, श्री अमराराम, विधायक दांतारामगढ़ व श्री राजेन्द्र राठौड़, विधायक तारानगर को दिनांक 3.9.2010 को समय 7.00 ए.एम. पर स्टेच्यू सर्किल से धारा 150 सीआरपीसी में गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें इनको गिरफ्तार करने के बाद में कहां लेकर गये और कहां रखा, यह सूचना भी इसमें देना आवश्यक था, जो इस प्रपत्र में आपको नहीं दी गई। इस प्रकार से सदन के ही नहीं, लोक सभा, विधान सभा के अध्यक्ष का, आसन के, इनके भी विशेषाधिकार का हनन किया है और अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में हम जब आते हैं तो हमको रोकने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। विधान सभा के बाहर कोई धरना देने आता है तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हम मिलने के लिए जाते हैं। विधान सभा के बाहर कोई आता है तो आपसे लाकर हमको मिलाते हैं, मंत्रियों से लाकर मिलाते हैं। अगर हमारे इस काम को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाला और चौपट करने वाला समझा जायेगा तो हम लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। सरकार ने यह जो कदम इन चारों विधायकों को और एम.पी. किरोड़ी लालजी मीणा को गिरफ्तार किया है वह अन्यायपूर्ण है, विधान सभा की अवहेलना की है, विशेषाधिकार का हनन किया है, तानाशाही की है और लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयत्न किया है, उसका हम विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर में रास्ते रोक दिये गये हैं....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपात काल की सी स्थिति सरकार ने लागू कर दी, सरकार क्या लाठी और डण्डों के बल पर पंचायत राज के सरपंचों को दबा देगी, एम.एल.एज. को दबा देगी...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): काहे की बात करते हैं आपात काल की, काहे की बात करते हैं, + + + (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस प्रकार का जो आपने काम किया है हम घोर विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): +++ जेल के अन्दर जाना चाहिए आप जैसे लोगों को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: रणवीर गुढा को किसने रोका था।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप जब देखो आपात काल की ...(व्यवधान) शर्म नहीं आती है आप लोगों को। (व्यवधान) इस तरह की हालात राजस्थान के अन्दर जिस तरह की हरकत की है आप लोगों ने, सरे आम गुण्डागर्दी, सरे आम कत्ल ...(व्यवधान) आप आप बात करने आई, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :- (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान)

श्री अध्यक्षः (1) श्रीमती अनिता भदेल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की भर्ती में हुए कथित घोटालों के संबंध में ।

एक माननीय सदस्यः वसुंधराजी, हिसाब दो कितने मरवाये आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः (2) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से वर्षा के कारण जोधपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। (व्यवधान)

(3) श्री कालीचरण सराफ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)ः सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः (4) श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य की ओर से राज्य में नरेगा योजना में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)ः भ्रष्टाचारियों । (व्यवधान) नाश हो तुम्हारा, भ्रष्टाचारी का।

श्री अध्यक्ष : उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)ः बात करते हैं आप, आप बड़े हिमायती बनकर आये हो, आपको शर्म आनी चाहिए। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को। (व्यवधान) किस तरह की बात कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः (5) श्री हरिसिंह रावत एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों की परिधि/पेराफेरियल बैल्ट के गांवों एवं ढाणियों की आबादी विस्तार हेतु भूमि के पट्टे जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से पाकिस्तान सीमा से लगते जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में कथित रूप से पाकिस्तानी जासूसों की बसावट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जन प्रतिनिधियों को अधिकार दिये, सरपंचों को दो दिन का अधिवेशन...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। मंत्रीजी। (व्यवधान) कृपया विराजें, आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) व्यवधान नहीं, आप लोग भी कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पहले उसका हिसाब बताओ। (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। (7) श्री बाबूलाल बैरवा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से कृषि उपज समिति खेड़ली जिला अलवर के प्रांगण में कथित रूप से किये जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में।

(8) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर की सेण्ट्रल जेल में कैदियों से मोबाइल फोन व अन्य अवैध वस्तुओं की बरामदगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

9. श्री बंशीधर खण्डेला एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर में अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा काश्तकारों को नाजायज रूप से परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से रावतभाटा परमाणु बिजली घर से निकलने वाली विकिरणों से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में।

11. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधायक कोष के कार्यों में विधायक द्वारा की अभिशंसित एजेंसी के स्थान पर जिला परिषद द्वारा अन्य एजेन्सी से कार्य सम्पन्न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग में परिवेदनाओं के नाम पर सैकड़ों शिक्षकों का स्थानान्तरण मानदण्डों के विपरीत किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री बंशीधर खण्डेला, श्री राव राजेन्द्र सिंह, श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री बंशीधर खण्डेला (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) दो दिन अधिवेशन चलाया श्री अशोक गहलोत सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। श्रीमती किरण माहेश्वरी (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से अलवर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुणसार तहसील कोटकासिम के प्रधानाचार्य के स्थानांतरण पर ग्रामीणों में व्याप्त रोष के संबंध में।
2. श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर स्थित गणगौरी बाजार में स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय का नाम परिवर्तन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से जिला झुन्झुनूं की तहसील बुहाना एवं नवलगढ़ के मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में।
4. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में लम्बे समय से लम्बित ओवरब्रिज का निर्माण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्रीमती मंजू देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के सीमावर्ती ग्रामों ढाणियों एवं बीपीएल चयनित परिवारों के विद्युत कनेक्शन मुहैया नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
6. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर में सड़कों तथा स्ट्रीट

(श्री अध्यक्ष)

लाइटों की दुर्दशा के कारण आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में।

7. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

8. डा. फूलचंद भिण्डा, सदस्य की ओर से 1995 में अध्यादेश से स्थायी हुए व्याख्याताओं, प्राचार्यो, उप प्राचार्यो का छठे वेतनमान में स्थिरीकरण करने के संबंध में।

9. श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही के संबंध में।

10. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से जोधपुर डिस्काम द्वारा किसानों को ट्यूबवैलों पर कृषि कनेक्शन दिये जाने के लिए थ्री स्टार रेटिंग विद्युत मोटर, फव्वारा तथा डिग्गी निर्माण की शर्तों की अनिवार्यता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. डा. जसवंत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बिजली की कमी के कारण किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

12. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से सिरोही-मण्डार राज मार्ग के खतरनाक घुमावों को ठीक करने के संबंध में।

इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची के माध्यम से उठाए गये मुद्दे

आज दिनांक 03 सितम्बर, 2010 को शून्यकाल में बोलने हेतु चार पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिसमें सलाहकार द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:-

श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री शाले मोहम्मद, श्री पेमाराम, श्री कर्नल सोनाराम।

श्री राधेश्याम गंगानगर (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री शाले मोहम्मद।

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

जैसलमेर जिले में मलेरिया का प्रकोप

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जैसलमेर जिले में हाल ही वर्षा के कारण मलेरिया की स्थिति ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हाल ही में जैसलमेर जिले में बारिश होने की वजह से इस क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप काफी बढ़ गया है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा चिकित्सा मंत्रीजी ...(व्यवधान) वहां पर मलेरिया की जो स्थिति है...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

...(व्यवधान) नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मलेरिया के हालात को सुधारने के लिए पूरे गांवों में, हर गांव में यदि डीडीटी का छिड़काव नहीं किया गया तो ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इतना फैल गया है कि कंट्रोल से बाहर हो गया ...(व्यवधान) मलेरिया काफी जगह हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इन गांवों में डीडीटी का छिड़काव करें ...(व्यवधान) ताकि मलेरिया आगे नहीं फैले। इसके अलावा मैं बाबा रामदेव का मेला भी शुरू हो गया है और उस मेले के कारण वहां पर लाखों की संख्या में ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

उनकी वजह से काफी ...(व्यवधान) वहां डाक्टर्स की कमी है ...(व्यवधान) बीमार होता है या ऐक्सीडेंट केस जो होते हैं उसे बड़ी तकलीफ होती है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त रूप से वहां डाक्टर्स लगाये जायें ताकि वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री कर्नल सोनाराम।

लूणी नदी में टैक्सटाइल यूनिट्स के गन्दे पानी से उत्पन्न स्थिति

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं आपके माध्यम से इसमें ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जोगी नदी जो जोधपुर के आसपास बनावड, जोधपुर, शेखावाटी, बंदावड़ा, सालावा, बोरानाडा से होती हुई जाकर के लूणी नदी में मिलती है और इसके आसपास में करीब 53 टैक्सटाइल की यूनिट्स हैं। उनका जो गंदा पानी है उसका कायदे से उसका ट्रीटमेंट कर के इस नदी में डालना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें ट्रीटमेंट हुआ नहीं और कुछ इकाइयां, 53 इकाइयों में करीब 36 इकाइयां ऐसी हैं जो अन-ओथोराइज्ड हैं व उनको स्वीकृति नहीं मिली है तो हुआ क्या कि पानी जोगी नदी से होता हुआ जोधपुर जिले से आगे यह लूणी नदी में जाता है और वहां से पहुंचता हुआ आगे कई गांवों में निकलता है खोलीखुर्द, श्यामनगर, मोटावास, अराबा, बाकियावास, कल्याणपुर, चितली, चारूलाई कला और वहां से होते हुए नेशनल हाइवे 112 से निकला और उसका नतीजा यह हुआ, अबके मानसून अच्छी थी और बहुत अच्छी फसलें थी और उन फ़सलों से होता हुआ यह पीला पानी जो निकला है इससे वहां फसलों को बहुत नुकसान हो गया। वहां का जो प्रशासन है वह अब जागा है और उन्होंने जो टैक्सटाइल की यूनिट्स थी उनको वहां पर सारा का सारा जितना था उसके कनेक्शन काट दिये हैं और अभी कार्यवाही शुरू हुई है तो मैं यहां पूछना चाहता हूं कि इतनी जब टैक्सटाइल की इकाइयां लगी थीं, यह बहुत बड़ा मुद्दा है इसकी परमिशन क्यों दी गयी, अब काट दी गई है। इसके अन्दर मेरी आपसे जो मांग है, वह चार मांग है। इसके अन्दर मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आप एक विधायकों का दल भेज कर इसका सर्वे करवायें और दूसरी मेरी यह मांग है कि जो गांव से, घरों से गंदे पानी से, खासकर से डोली गांव के अन्दर जो हाइवे के ऊपर आ गया है उन गांवों के अन्दर जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, खेती के नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ इसमें जोधपुर जिला ही नहीं है, जोधपुर जिला और बाड़मेर जिला दोनों इससे प्रभावित हुए हैं और यह हमारे मुख्य मंत्रीजी का जिला है। वहां पर इस तरह से बड़ा हादसा हो जाता है तो उससे हमको बड़ा नुकसान होता है। यह किसानों का मामला है। इसलिए मेरी आपसे जो मांगे हैं इसको आप कृपा करके यहां जो इससे प्रभावित तीन

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

मंत्रालय होते हैं, एक तो पर्यावरण का है, एक जो खेती का नुकसान हुआ है, कृषि विभाग है तो सर्वे कराकर इसका जो नुकसान हुआ है उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति 2010-11 का प्रतिवेदन

(क्र. सं. 10 से 18)

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्रीमती मंजू देवी।

श्रीमती मंजू देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित 9 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

1. राज्य में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट, दहेज उत्पीड़न, दहेज के लिए प्रताड़ना, हत्या के लिए धमकी देना व झूंठे आरोपों पर कार्यवाही संबंधी महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का दसवां प्रतिवेदन,
2. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के द्वारा महिला सैन्ट्रल जेल के आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का ग्यारहवां प्रतिवेदन,
3. महिलाओं के साथ दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा जान से मारने की धमकी एवं अन्य उत्पीड़न संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का बारहवां प्रतिवेदन,
4. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय शिशुगृह, बालिका गृह एवं राजकीय कन्या छात्रावास, गांधीनगर के दिनांक 18.5.2004 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण से संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का तेरहवां प्रतिवेदन,
5. जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर के दिनांक 13.10.1999 एवं

(श्रीमती मंजू देवी)

26.8.2004 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का चौदहवां प्रतिवेदन,

6. उत्पीड़ित महिलाओं एवं संस्थाओं की ओर से प्राप्त शिकायतों तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रकरणों का निराकरण करवाने संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन,

7. महिला बंदीगृह, केन्द्रीय कारागार, जयपुर का आकस्मिक निरीक्षण (दिनांक 13 नवम्बर, 2009) संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का सोलहवां प्रतिवेदन,

8. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के चतुर्थ प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक सत्रहवां प्रतिवेदन, एवं

9. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के सप्तम प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक अठारहवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री भरतसिंह।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री राजकुमार रिणवां ।

श्री अशोक पींचा ।

श्री रमेश चन्द मीणा ।

डा. दिगम्बर सिंह ।

श्री ओम बिरला (अनुपस्थित)

श्री अभिषेक मटोरिया ।

श्री अशोक डोगरा ।

श्री अर्जुन लाल ।

डा. फूलचन्द भिण्डा ।

श्री बंशीधर खण्डेला ।

डा. विश्वनाथ मेघवाल।

श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा ।

श्री वासुदेव देवनानी ।

श्री अब्दुल सगीर खां ।

श्री सुखराम ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

श्री रोहिताश कुमार ।

डा. जसवन्त सिंह यादव ।

श्री हनुमान बेनीवाल ।

श्री कैलाश चन्द भंसाली ।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ।

श्रीमती कमला कस्वां ।

सुश्री सिद्धि कुमारी ।

(श्री अध्यक्ष)

श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ।

(उपरोक्त सभी माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

(सदन में नारेबाजी)

(श्री अध्यक्ष)

जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित), डा. दिगम्बर सिह, श्री ओम बिरला (अनुपस्थित), श्री ओटाराम देवासी, श्री जगसीराम, श्री फूलचन्द भिण्डा, श्री बंशीधर खंडेला, श्रीमती प्रमीला कुण्डारा, श्री हनुमान बेनीवाल, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (माननीय सदस्यगण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड-2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: : जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

(सदन में नारेबाजी)

जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्रविड़ उत्कल बंगा।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.24 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर नगर विकास न्यास में धारा 90बी के लम्बित प्रकरण

50. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1)क्या यह सही है कि प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा कृषि भूमि के आवासीय भू-रूपान्तरण हेतु धारा 90बी, इसके पश्चात ले-आउट अनुमोदन एवं पट्टे जारी करने की समयावधि तय है? यदि हां, तो कितनी संबंधित परिपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2009 से अब तक नगर विकास न्यास, अवलर को कृषि भूमि से आवासीय भू-रूपान्तरण हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुए एवं इनका निस्तारण किस-किस स्तर पर हुआ? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर विकास न्यास, अलवर में वर्तमान में धरा 90 बी एवं ले-आउट के कितने प्रकरण क्यों लंबित हैं?कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बगैर किसी उचित कारण के भू-रूपान्तरण के प्रकरणों का लम्बित करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि भूमि से आवासीय भू-रूपान्तरण हेतु आवेदित प्रकरणों में चाहा गया भू-उपयोग मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू-उपयोग के अनुरूप होने पर 90बी (3) के तहत रूपान्तरण एवं योजना मानचित्र का अनुमोदन सामान्यता आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिवस के अन्दर पूर्ण किया जाना तथा जिन प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही भी अपेक्षित है का निस्तारण सामान्यता 120 दिवस के अन्दर किये जाने की अवधि तय है। 90बी की क्रियान्विति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 25.02.09 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) कृषि भूमि से आवासीय भू-रूपान्तरण के 1 जनवरी, 2009 से अब तक कुल 76 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 43 का निस्तारण न्यास स्तर पर किया जा चुका है तथा शेष 33 प्रकरण न्यास स्तर पर लम्बित हैं। निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) नगर विकास न्यास, अलवर में 90बी के 33 प्रकरण तथा ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु 08 प्रकरण लम्बित है। लम्बित रहने के कारण सहित प्रकरणवार सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) यदि कोई परिवाद राज्य सरकार को प्राप्त होगा व प्रकरण में हुए विलम्ब के कारणों पर परीक्षोपरान्त किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की लापरवाही प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण/प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर विधान सभा क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़कें

51. **श्रीमती अनिता सिंह** (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में जनवरी, 2009 से अब तक (डीग की 21 पंचायतों सहित) मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया गया? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कितने किलोमीटर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मिसिंग लिंक रोड बनवाने के लिए क्षेत्रीय विधायकों की अभिशंषा की आवश्यकता समझती है? यदि हां, तो कितने किलोमीटर में व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।

(2) जी हां। मिसिंग लिंक सड़कों की लम्बाई का निर्धारण तथा क्षेत्रीय विधायकों से अभिशंषा के प्रस्ताव, सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता अनुसार प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र में निगम बस सेवा

52. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में 25 ग्राम पंचायत मुख्यालय राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा से वंचित है जिनकी सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत मुख्यालायों को संबंधित तहसील मुख्यालयों से जोड़ने की योजना पीडीकोर लि. से तैयार करवाई जाकर अलवर जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है इस हेतु निजी वाहन स्वामियों से निविदाएं आमंत्रित की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। निगम द्वारा प्रकाशित निविदाओं के अनुरूप निजी वाहन स्वामियों से वाहनें उपलब्ध होने पर, परिवहन निगम की बसों से वंचित ग्राम पंचायतों को निगम बसों से जोड़ा जा सकेगा।

परिशिष्ट '1'

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में निगम की बस सेवाओं से वंचित ग्राम पंचायतों की सूची

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम
1	बधाना
2	कान्हडका
3	मकरावा
4	ऊंजौली
5	टेऊवास
6	भौंकर
7	खानपुर डांगरान
8	नांगल सालिया
9	तिगावा
10	बघेरीखुर्द
11	जट्टयाना
12	बाघौंडा
13	बृसंगपुर
14	बहादरपुर
15	भजेडा
16	भगेरीकला
17	इस्माईलपुर
18	लंगडवास
19	मूंसाखेडा
20	मांछरौली

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम
21	पट्टीजौडिया
22	पाटनमेवान
23	रातापुर
24	रायबका
25	सिरमोली

नोहर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

54. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नोहर में बच्चों की संख्या के अनुपात में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कम है? यदि हां, तो गांववार व पंचायतवार बच्चों की संख्या व केन्द्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की किन-किन परियोजनाओं में सीडीपीओ तथा सुपरवाइजर के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर क्या-क्या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? केन्द्रवार व परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कहां-कहां हो रहा है? केन्द्रवार व परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) गत पांच वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने केन्द्रों की अनुशंषा की गई तथा कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नोहर के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना नोहर की 40 ग्राम पंचायतों के 188 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा बाल विकास परियोजना रावतसर की 14 ग्राम पंचायतों के 55 आंगनबाड़ी केन्द्र, इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र नोहर में कुल 243 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत जनसंख्या के आधार पर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं तथा भारत सरकार की स्वीकृति उपरान्त खोलने की

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

कार्यवाही की जाती है। नोहर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम एवं पंचायतवार जनसंख्या तथा केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) नोहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना नोहर व बाल विकास परियोजना रावतसर आती है। उक्त परियोजनाओं में सीडीपीओ व सुपरवाइजर के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

परियोजना का नाम	बाल विकास परियोजना अधिकारी		सुपरवाइजर	
	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
नोहर	1	1	8	4
रावतसर	1	1	6	2

(3) विभाग में वर्तमान में लगभग 113 पद बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा लगभग 445 पद महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त हैं। अतः परियोजना नोहर एवं रावतसर में रिक्त पदों को भरने के लिए उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नोहर के आंगनबाड़ी केन्द्रों को निम्न सामग्री यथा- मेडिकल किट, प्री-स्कूल किट, यूटेन्शियल किट, दरी पट्टियां आदि समय-समय पर उपलब्ध करवाये गये हैं। केन्द्रवार उपलब्ध करवाये गये सामानों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) विधान सभा क्षेत्र नोहर में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों का केन्द्रवार/परियोजनावार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(6) विधान सभा क्षेत्र नोहर में विगत पांच वर्षों में केन्द्र खोलने के लिए की गई अनुशंसा व खोले गये केन्द्रों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	नोहर		रावतसर	
	अनुशंषा	स्वीकृत	अनुशंषा	स्वीकृत
2005-06	8	8	0	0
2006-07	9	9	0	0
2007-08	21	21	1	1
2008-09	0	0	0	0
2009-10	1	0	4	4

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के क्रमोन्नत विद्यालयों में स्वीकृत पद

55. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2003 से जुलाई, 2010 तक कौन-कौन से राजकीय विद्यालयों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितने राजपत्रित, अराजपत्रित, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कौन-कौन से पद सृजित किये जाते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा क्रमोन्नत होने वाले राजकीय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पद स्वीकृत किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में स्वीकृत पदानुसार पद भरे गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में पद सृजित करने व उन्हें भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2003 से जुलाई 2010 तक विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ मे माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(2) राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन किए जाने के मापदण्ड निम्नानुसार है :-

राउप्रावि से मावि में

क्र.सं.	पद नाम	पद संख्या
1	प्रधानाध्यापक	1 पद राजपत्रित
2	व.अ.	5 पद अराजपत्रित
3	शा. शि.- तृतीय	1 पद अराजपत्रित
4	व.लि.	1 पद मन्त्रालयिक
5	क.लि.	1 पद मन्त्रालयिक (द्वितीय वर्ष में)
6	च.श्रे. कर्म.	1 पद च.श्रे. कर्म. प्रथम वर्ष मे तथा 1 पद द्वितीय वर्ष में

(शिक्षा मंत्री)

नोट :- व.अ. के पद प्रथम वर्ष में 3 एवं द्वितीय वर्ष में 2 पद सृजित करने का प्रावधान हैं।

रामावि से राउमावि में

क्र.सं.	पद नाम	पद संख्या
1	प्रधानाचार्य	1 पद राजपत्रित
2	व्याख्याता	5 पद राजपत्रित
3	शा. शि. - द्वितीय	1 पद अराजपत्रित
4	पु.अ. द्वितीय	1 पद अराजपत्रित
5	क.लि.	1 पद मन्त्रालयिक
6	च.श्रे. कर्म.	1 पद च.श्रे. कर्म.

नोट :- प्रधानाध्यापक, शा.शि. तृतीय एवं पु.अ. तृतीय का पद उक्त पद सृजित होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2003-04, 2006-07 एवं 2007-08 से 2009-10 तक कोई भी मावि को उमावि में क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में 4 राउमावि को मावि में क्रमोन्नत किया गया। इन क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक प्र.अ., चार द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद सृजित किए गए। इसके अतिरिक्त इस विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक 5 माध्यमिक विद्यालयों को उमावि में क्रमोन्नत कर प्रति विद्यालय एक प्रधानाचार्य एवं तीन व्याख्याताओं के पद सृजित किए गए।

वर्ष 2008-09 में इस विधान सभा क्षेत्र में 19 उप्रावि को मावि में क्रमोन्नत किया गया है। इन विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक प्र.अ. का पद ही सृजित किया है।

(शिक्षा मंत्री)

वर्ष 2009-10 में इस क्षेत्र में 15 उप्रावि को मावि में क्रमोन्नत किया गया है, इन क्रमोन्नत विद्यालयों में अभी कोई भी पद सृजित नहीं किए गए हैं।

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में भारत सरकार से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीन विद्यालयों के क्रमोन्नयन की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पदों के सृजन की कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में भारत सरकार से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीन विद्यालयों के क्रमोन्नयन की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पदों के सृजन एवं भरने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा विभाग जोधपुर

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 2003 से जुलाई 2010 तक राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये विद्यालय

सत्र	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत
2003-04	शून्य	शून्य
2004-05	1. राउप्रावि खुडियाला 2. राउप्रावि चांदसमा	1. रामावि नाथडाऊ
2005-06	1. राउप्रावि बिराई 2. राउप्रावि देवातु	1. राबामावि बालेसर सत्ता

सत्र	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत
2006-07	शून्य	1. रामावि चाबा 2. रामावि चामू 3. रामावि सोमेसर
2007-08	शून्य	शून्य
2008-09	1. राउप्रावि साई 2. राउप्रावि कनोडिया पुरोहितान 3. राउप्रावि खारीबेरी 4. राउप्रावि गिलाकौर 5. राउप्रावि लोडता अचलावता 6. राउप्रावि बारनाऊ 7. राउप्रावि कुईइन्दा 8. राउप्रावि गडा 9. राउप्रावि भूंगरा 10. राउप्रावि चुतरपुरा 11. राउप्रावि गुमानसिंहपुरा 12. राउप्रावि तुलेसर पुरोहितान (भोटेलाई पुरोहितान) 13. राउप्रावि सुराणी दुग्गड़ 14. राउप्रावि जुडिया ढांढणिया सांसण 15. राउप्रावि निम्बो का गांव 16. राउप्रावि केतुमदा 17. राउप्रावि केतुकला 18. राउप्रावि भालूराजवा 19. राबाउप्रावि शेरगढ़	शून्य
2009-10	1. राउप्रावि भोमसागर 2. राउप्रावि साबूसिंह का बेरा 3. राउप्रावि हिम्मतपुरा 4. राउप्रावि पाबुसर 5. राउप्रावि साबरसर 6. राउप्रावि सिंयादा 7. राउप्रावि बेलवा राणाजी 8. राउप्रावि भालू अनोपगढ़ 9. राउप्रावि देडा 10. राउप्रावि डेरिया	शून्य

सत्र	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत
	11. राउप्रावि गोदेलाई 12. राउप्रावि जिनजिलयाला 13. राउप्रावि ढांढणिया भायला 14. राउप्रावि डाडे की बेरी 15. राउप्रावि सुवालिया	

जयपुर की प्रस्तावित "रिंग रोड" का निर्माण

57. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जयपुर "रिंग रोड" के निर्माण की वर्तमान में क्या प्रगति/स्थिति है? क्या सरकार आगामी 3 वर्षों में इस रिंग रोड के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? रिंग रोड के मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर रिंग रोड के दक्षिणी भाग के, आगरा रोड से अजमेर रोड वाया टोंक रोड होते हुए लगभग 47 किमी. लम्बे भाग के निर्माण हेतु एलाइनमेन्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस भाग में लगभग 1620.86 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा चुकी है। प्रोजेक्ट की प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट एवं डी.पी.आर. बनाने हेतु कन्सलटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। रिंग रोड के इस भाग की भूमि का कब्जा प्राप्त करने, पुर्नवास क्षेत्र की प्लानिंग एवं निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है। सरकार उकत कार्य को 3 वर्षों में पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है। उपरोक्त रिंग रोड के मास्टर प्लान की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(मास्टर प्लान की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 पर दुर्घटनाओं के समाधान हेतु विस्तार

58. श्री मलखान सिंह (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जोधपुर शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को रिक्तियां भैंरूजी चौराहे से शताब्दी सर्किल (बाइपास) तक 4 लेन

(श्री मलखान सिंह)

में तब्दील कर दिये जाने पर भी यातायात के दबाव के कारण सड़क दुर्घटनायें बदस्तूर जारी हैं? क्या सरकार शताब्दी सर्किल से आगे 4 लेन सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कहां तक तथा इस पर कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के रिक्तियां भैरूजी चौराहे (किमी 307/0) से शताब्दी सर्किल (बाइपास) (किमी 315/0) तक 7.8 किमी सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। सड़क के इस भाग पर रु. 35.50 करोड़ की लागत से 4/6 लेन चौड़ाईकरण एवं मध्य में डिवाइडर लगाने का कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त कार्य प्रगति पर है। यातायात घनत्व के अनुसार सड़क की चौड़ाई उपयुक्त है और अब सड़क के उक्त भाग पर दुर्घटनाओं में कमी आई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर यातायात दबाव 4 लेन सड़क के लिये उपयुक्त होने के कारण राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के विकास हेतु जोधपुर से पाली तक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर सड़क को चार लेन में परिवर्तित करना प्रस्तावित है। कन्सल्टेंट से इस हेतु ड्राफ्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाकर राज्य सरकार द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु दिनांक 04.8.2010 को भिजवा दी गई है। कार्य की अनुमानित लागत रुपये 355.64 करोड़ आंकी गई है। उक्त कार्य हेतु योग्यता बाबत निविदायें-रीक्वेस्ट फोर क्वालीफिकेशन (आर.एफ.क्यू.) दिनांक 06.09.2010 को मुख्य अभियन्ता कार्यालय जयपुर में प्राप्त की जायेगी। उसके बाद योग्य पाये गये संवेदकों से वित्तीय बिड प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

जिन्दोली की घाटी तहसील बहरोड़ में अवैध खनन

59. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिन्दोली की घाटी तहसील बहरोड़ में अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में अवैध खनन की कितनी शिकायतें किस-किस के विरुद्ध कब-कब प्राप्त हुई? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(2) उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गत दो वर्षों में कोई अवैध खनन की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) अवैध खनन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

डीग के प्राचीन किले स्थित नहर की स्थाई सफाई व्यवस्था

60. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि काफी समय से डीग के प्राचीन किले की चारों तरफ स्थित नहर की सफाई नहीं की गई है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त नहर की शीघ्र सफाई करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त नहर में पूर्व से भरे एवं सड़े हुए पानी को निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब?

(4) क्या सरकार उक्त नहर के पानी की निकासी हेतु कोई स्थायी और नियमित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। डीग किले के 1968 में संरक्षित घोषित होने के बाद इसके चारो तरफ स्थित नहर की सफाई नहीं हुई है।

(2) नहर की सफाई का कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर स्थानीय नगरपालिका के माध्यम से कराया जाना सम्भव होगा।

(3) वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर नहर में भरे एवं सड़े हुए पानी को निकालने का कार्य स्थानीय नगरपालिका के माध्यम से कराया जाना सम्भव होगा।

(4) पुरा वास्तुविज्ञ की तकनीकी सलाह प्राप्त करके इस बाबत विचार किया जायेगा।

घड़साना पंचायत समिति के शिक्षकों का बकाया भुगतान

61. **श्री पवन दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत एक वर्ष में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा कितने शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां की गई?

(2) क्या उक्त प्रतिनियुक्तियां स्थानीय प्रभावशाली लोगों द्वारा करवाई गई? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो उक्त प्रतिनियुक्तियां क्यों की गईं?

(3) सरकार पंचायत समिति घड़साना मुख्यालय पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कब तक खोलने का विचार रखती है? क्या पंचायत समिति कार्यालय भी घड़साना में स्थापित किया जा चुका है?

(4) गत एक वर्ष में पंचायती राज शिक्षकों व एस.एस.ए. शिक्षकों को बी.ई.ई.ओ. अनूपगढ़ द्वारा जारी वेतन भुगतान की सूची माहवार व तिथिवार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अनूपगढ़ बीईईओ कार्यालय से पंचायती समिति शिक्षक एसएसए शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि पंचायती राज शिक्षक व एसएसए शिक्षकों के जनवरी, 2010 से बढ़े महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो इस एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा गत एक वर्ष में 02 शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान में चाईल्ड ट्रेकिंग सर्वे के लिए तथा 23 शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाया गया है।

(2) जी नहीं। प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 01 के अनुसार।

(3) पंचायत समिति घड़साना में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने के हेतु निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। पंचायती समिति कार्यालय, घड़साना के स्थापित किये जाने की अधिसूचना दिनांक 28.10.2009 द्वारा जारी की जा चुकी है।

(4) गत एक वर्ष में पंचायती राज शिक्षकों व एस.एस.ए. शिक्षकों को

(शिक्षा मंत्री)

बी.ई.ई.ओ. अनूपगढ़ द्वारा जारी वेतन भुगतान की माहवार व तिथिवार सूची परिशिष्ट 'क' पर अवलोकनीय है।

(5) जी हां। वेतन विलम्ब से भुगतान होने के कारणों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर अवलोकनीय है।

(6) जी हां। वित्तीय प्रावधान की अनुपलब्धता के कारण मंहगाई भत्ता राशि के एरियर का भुगतान नहीं किया जा सका है। पंचायतीराज के शिक्षकों के मंहगाई भत्ता एरियर हेतु बजट आबंटित किया गया है, जिससे पंचायतीराज के शिक्षकों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 'क'

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) द्वारा माह जुलाई 2009 से जून 2010 तक की अवधि में अध्यापकों के वेतन भुगतान का माहवार विवरण

क्र. सं.	माह	वेतन भुगतान की तिथि		समय पर वेतन भुगतान नहीं होने का कारण	
		पंचायती राज	एसएसए	पंचायत राज	एसएसए
1	जुलाई-09	20.8.2009	25.08.2009	कार्यालय स्टाफ की कमी के चलते वेतन वृद्धि में देरी के कारण	बजट प्राप्ति में विलम्ब
2	अगस्त-09	15.9.2009	18.9.2009	ट्रेजरी चैक विलम्ब से पारित	बजट प्राप्ति में विलम्ब
3	सितम्बर-09	05.10.2009	15.10.2009	भुगतान समय पर	बजट प्राप्ति में विलम्ब
4	अक्टूबर-09	17.12.2009	08.12.2009	डीडीओ पावर देरी से मिलना	डीडीओ पावर देरी से मिलना
5	नवम्बर-09	17.12.2009	24.12.2009	डीडीओ पावर देरी से मिलना	डीडीओ पावर देरी से मिलना
6	दिसम्बर-09	22.01.2010	24.01.2010	आयकर गणना फार्म प्राप्ति में विलम्ब	बजट प्राप्ति में विलम्ब
7	जनवरी-10	03.02.2010	24.02.2010	भुगतान समय पर	बजट प्राप्ति में विलम्ब
8	फरवरी-10	10.04.2010	30.03.2010	बजट प्राप्ति में विलम्ब	बजट प्राप्ति में विलम्ब
9	मार्च-10	30.04.2010	12.05.2010	बजट प्राप्ति में विलम्ब	बजट प्राप्ति में विलम्ब
10	अप्रैल-10	05.05.2010	26.05.2010	भुगतान समय पर	बजट प्राप्ति में विलम्ब
11	मई-10	02.06.2010	16.6.2010	भुगतान समय पर	बजट प्राप्ति में विलम्ब
12	जून-10	03.07.2010	14.07.2010	भुगतान समय पर	बजट प्राप्ति में विलम्ब

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

62. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमंद) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में सरकार द्वारा क्या योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं?

(2) उक्त योजनाओं पर वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कितनी राशि आबंटित की गई एवं वास्तविक व्यय कितना हुआ?

(3) उक्त क्षेत्र में भू-जल स्तर की क्या स्थिति है और भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में जल पुनर्भरण संरचना एवं महानरेगा के अन्तर्गत सिंचाई कार्य करवाये गये हैं/प्रगतिरत हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में आबंटित बजट एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रुपये लाखों में)

मद	2009-10		2010-11	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय
जल पुर्नभरण संरचना	30.00	30.43	0	0
महानरेगा	-	225.66	-	135.76 (प्रस्तावित)

(3) राजसमन्द जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में भू-जल स्तर की स्थिति परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गयी है। भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं :-

1. कूप द्वारा भू-जल कृत्रिम पुर्नभरण योजना द्वारा खेत के वर्षा जल को कूप में डाल कर भू-जल का पुर्नभरण किया जा रहा है।

2. महानरेगा योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के 3 स्थानों पर सब सरफेस बेरीयर के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद इन निर्माण कार्यो को महानरेगा के तहत प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट -'अ'

COMPARISION OF CHANGE IN PRE-MONSOON (1995, 2004, 2009 & 2010) AND POST-MONSOON (1995, 2008 & 2009) WATER LEVELS OF KEY WELLS, DISTRICT RAJSAMAND

S. No.	BLOCK	PRE MONSOON W.L. (M)				POST MONSOON W.L. (M)			CHANGE IN WATER LEVEL (M)					Annual Rainfall in mm			
		1995 PRE	2004 PRE	2009 PRE	2010 PRE	1995 POST	2008 POST	2009 POST	Pre 95-Pre 10 (3-6)	Pre 04-Pre 10 (4-6)	Pre 05-Pre 10 (5-6)	Post 95 -Post 09 (7-9)	Post 08 - Post 09 (8-9)	1994	2003	2008	2009
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	Amet	10.3	19.90	17.50	16.43	6.16	13.76	17.12	-6.73	0.83	-0.13	-7.79	-3.66	684.70	429.00	492.00	336.00
2	Bhim	7.90	13.32	14.58	14.88	3.49	9.24	12.17	-7.03	-1.05	-0.71	-8.05	-2.46	668.00	416.00	378.00	377.00
3	Deogarh	8.09	14.54	13.14	14.77	4.92	8.55	11.77	-6.65	0.02	-1.63	-6.93	-2.97	1017.00	499.00	493.00	321.00
4	Khamnor	11.12	18.79	16.22	17.28	8.17	12.43	13.23	-4.50	0.70	-0.59	-3.34	-0.46	749.00	403.00	345.00	595.00
5	Kumbhal-garh	8.06	15.70	15.86	17.02	2.71	10.05	12.36	-8.30	-0.27	-0.83	-9.25	-2.01	926.00	732.00	502.00	401.00
6	Railmagra	15.40	20.53	19.26	19.03	12.89	11.90	17.42	-4.49	0.16	-0.36	-4.96	-5.40	619.00	533.00	482.00	471.00
7	Rajsamand	9.25	18.85	14.74	15.76	6.75	12.76	15.32	-6.88	0.02	-1.00	-6.55	-2.58	582.00	483.00	419.00	447.00
	District TOTAL	**9.98**	**17.46**	**15.91**	**16.45**	**6.44**	**11.24**	**14.20**	**-6.37**	**0.06**	**-0.75**	**-6.69**	**-2.79**	**749.39**	**499.29**	**444.43**	**421.14**

परिशिष्ट 'ब'

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में कृत्रिम पुर्नभरण ढांचा सब सरफेस बैरियर कार्य की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	मसानिया पिपावास	कोटडी	रेलमगरा	14.27
2	महासतियों की मादडी	महासतियों की मादडी	रेलमगरा	4.35
3	पडासली	पडासली	राजसमन्द	3.00
	योग			**21.62**

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित सैक्टर रोड 13 व 14 पर अतिक्रमण

63. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 18 नवम्बर, 2008 को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 5, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा दीवानी वाद संख्या 18/97 में आदेश दिया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर 13 व 14 प्लान में प्रस्तावित 160 फीट रोड पर अवैध कब्जा अथवा निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाय?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त 160 फीट रोड पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया है? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हैं?

(3) आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा न्यायालय आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दिवानी वाद संख्या 18/97 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 13

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

व 14 प्लान में प्रस्तावित विवादित 160 फीट रोड पर प्रतिवादिगण श्री लक्ष्मीनारायण वगैर संख्या 1 लगायत 4 अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करें एवं न ही ऐसा अन्य किसी से करावें। जविप्रा को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित 160 फीट रोड पर वह किसी को अवैध कब्जा करने एवं निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं करें।

(2) यह सही नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियो की मिलीभगत से उक्त 160 फीट रोड पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया है।

(3) माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में जविप्रा द्वारा प्रस्तावित 160 फीट रोड पर सघन निगरानी रखी जा रही है एवं किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 के पुलों पर टोल टैक्स वसूली

64. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड और स्थायी पुलों के उपयोग के लिए फीस लोकवित्त पोषित परियोजना नियम, 1997 के तहत राज्य में विभिन्न स्थानों पर टोल टैक्स लिए जा रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस प्रखण्ड और पुल का तथा किस कारण से, किस योजनान्तर्गत, किस तारीख से, वाहनवार कितनी-कितनी राशि? नियमों की प्रति एवं वसूल की जाने वाली दरों की स्थानवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिया/राजमार्ग निर्माण में व्यय सीमा तक राशि वसूल की जाकर टोल टैक्स संग्रहण बंद कर दिया जाता है, किन्तु अनेक स्थानों पर पथकर संग्रहण सतत रूप से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा इस प्रकार की वसूली को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? इस बाबत किए गए पत्र व्यवहार एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त उत्तर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 में बनास नदी पर रुपये 720.65 लाख व्यय कर निर्मित पुलिया का 12-5-1994 से वसूल किए जा रहे टोल टैक्स के रूप में अब तक निर्माण में व्यय हुई राशि से बहुत

(श्री रामनारायण मीण)

अधिक राशि वसूल हो चुकी है? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक की जा रही वसूली के क्या कारण हैं तथा अब कब तक वसूली नाका हटा दिया जावेगा? अब तक की गई वसूली राशि का वर्षवार विवरण तथा वसूली की जाने के लिए निर्धारित तिथि सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1997 के नियम लागू होने के पूर्व से तथा बाद से उक्त प्रकार से अन्य स्थानों पर वसूली जा रही टोल टैक्स निर्माण लागत राशि के मुकाबले अब तक कितनी-कितनी प्राप्त हो चुकी है तथा कब तक वसूली जारी रखी जाना प्रस्तावित है? पृथक-पृथक विवरण मय आदेश की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड और स्थाई पुलों के उपयोग के लिए फीस लोकवित्त पोषित परियोजना नियम 1997 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित चार स्थाई पुलों मय रींगस बाइपास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। योजना राजमार्ग प्रखण्ड और पुल का नाम, टोल टैक्स प्रारम्भ की तारीख तथा वाहन वार राशि का विवरण परिशिष्ट 1, 2, 3 एवं 4 पर संलग्न है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड पर उक्त नियम के तहत वसूल किये जा रहे टोल टैक्स का विवरण परिशिष्ट '5' पर संलग्न है। नियमों की प्रति परिशिष्ट '6' पर संलग्न है। वसूल की जाने वाली दरों की स्थानवार सूची विवरण सहित परिशिष्ट-1, 2, 3, 4 एवं 5 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बी.ओ.टी. योजना में निर्मित राजमार्ग/पुलिया निर्माण में व्यय सीमा तक राशि वसूल की जाकर टोल टैक्स संग्रहण बंद कर दिया जाता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड और स्थाई पुलों के संबंध में जारी लोकवित पोषित परियोजना नियम 1997 के बिन्दु 2(J) व 11 के तहत पथकर संग्रहण (टोल टैक्स) निरन्तर निर्धारित दरों पर किये जाने का प्रावधान है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.01.08 द्वारा लोकवित पोषित परियोजना नियम 1997 के तहत टोल वसूली निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्थाई पुलिया/राजमार्ग प्रखण्ड पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

चूंकि सतत वसूली का प्रावधान भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 16.4.2007 में है, अतः इस प्रकार की वसूली को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। इस बाबत टोंक के नजदीक बनास नदी पर बने पुल के बारे में किये गये पत्र व्यवहार की प्रति परिशिष्ट-7 तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त उत्तर की प्रति परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 में बनास नदी पर निर्मित स्थाई पुल पर रुपये 720.65 लाख व्यय कर दिनांक 12.5.94 से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। लोकवित्त पोषित परियोजना नियम 1997 के बिन्दु 2 (J) व 11 तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16.4.2007 में सतत वसूली के प्रावधान के क्रम में उनके पत्र दिनांक 25.01.08 द्वारा टोल वसूली निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त गजट नोटिफिकेशन के तहत टोल टैक्स वसूली निरन्तर की जा रही है। चूंकि सतत वसूली का प्रावधान है, अतः टोल वसूली का नाका हटाना प्रस्तावित नहीं है। अब तक वसूल की गई राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-9 पर संलग्न है। निर्धारित तिथि उक्त गजट नोटिफिकेशन अनुसार सतत रखी जानी प्रस्तावित है।

(4) वर्ष 1997 के नियम लागू होने के पूर्व से तथा बाद से उक्त प्रकार से अन्य स्थानों पर टोल टैक्स निर्माण लागत के मुकाबले अब तक वसूल की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।

भारत सरकार के लोकवित्त पोषित परियोजना नियम 1997 के बिन्दु 2(J) व 11 के तहत राज्य में उक्त स्थानों पर स्थाई पुलों पर निरन्तर टोल वसूली का प्रावधान है, अतः टोल वसूली निरन्तर जारी रहेगी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

65. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से

(श्री शंकर सिंह रावत)

कितने पद भरे हुए एवं कितने पद रिक्त हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्रों के कई उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है? यदि हां, तो किस किस विद्यालय में कितने-कितने व किस-किस विषय के अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है तथा राज्य में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
व्याख्याता	19575	11230	8345
व.अध्यापक	37438	29934	7514
अध्यापक	12583	10478	2105

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही (I ग्रेड एवं II ग्रेड) के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। इसके साथ ही तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं नियमों में संशोधन की कार्यवाही होने के पश्चात् ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित पेयजल योजना

66. श्री अशेक डोगरा (बून्दी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बूंदी के लिये पेयजल की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी राशि की एवं इसे कब तक चालू कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा भीलवाड़ा को चम्बल से पानी देने के लिये कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(3) क्या सरकार चम्बल से बूंदी को जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम' के दिशा-निर्देशों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र, बूंदी के तीन ग्राम क्रमशः लीलेड़ा व्यासान, सैदड़ी तथा गणेशपुरा हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है। इस रिपोर्ट के आधार पर योजनावार राशि के निर्धारण उपरांत इनकी स्वीकृति जारी की जावेगी एवं इनका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति माह अगस्त, 2009 में राशि रुपये 1020.00 करोड़ की जारी की गई। वित्त पोषण हेतु यह परियोजना भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विश्व बैंक को भेजी गई है।

(3) जी हां। तकनीकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उनियारा (टोंक) नगरपालिका में हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच

62. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं द्वारा करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों की पुष्टि, कार्य की गुणवत्ता, राशि, भुगतान तथा कार्य-नाप पुस्तिका आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान किया जाकर दिशा-निर्देश/परिपत्र भी जारी किए गए हैं? यदि हां, तो क्या? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, गलत नाम, एक ही कार्य का अधिक मर्तबा निर्माण दर्शाया जाना, गलत भुगतान, स्वीकृत कार्य एवं स्थान के अतिरिक्त अन्य प्रकार का कार्य उसी स्थान या अन्य स्थान पर करवाया जाना आदि के सम्बन्ध में विभागीय जांच की जाने एवं पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाए जाने का भी प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त प्रकार के प्रकरण में नगरपालिका उनियारा (टोंक) सहित प्रदेश की अन्य नगरपालिकाओं में सामने आने के उपरान्त भी विभागीय कार्यवाही तथा फौजदारी प्रकरण दर्ज किये जाने में की जा रही शिथिलता के क्या कारण रहे हैं? प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगरपालिका उनियारा में विगत 8 वर्षों की अवधि में हुए प्रत्येक निर्माण कार्य का उसकी गुणवत्ता एवं अवस्थिति सहित मौके पर भौतिक सत्यापन करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कार्य एवं प्रकरणवार नामजद सूची सहित पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त नगरपालिका सीमा क्षेत्र में स्थित विभागीय, राजकीय, सिवाय चक तथा नगरपालिका के नाम पर अंकित भूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी नगरपालिका बोर्ड एवं जिम्मेदार अधिकारियों की है? यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र उनियारा में हुए अतिक्रमणों के लिए नगरपालिका बोर्ड तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? अतिक्रमियों की पृथक-पृथक नामजद सूची सहित कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिकाओं द्वारा सार्वजनिक निर्माण एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निहित प्रक्रियानुसार ही निर्माण कार्य करवाये जाते हैं। राजस्थान नगरपालिका (क्रय एवं संविदा) निमय 1974 के अन्तर्गत निर्माण कार्यो की निविदायें जारी करने, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने एवं राशि के भुगतान की शक्तियां प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण विशेष का उचित माध्यम से जांच कराते हुए प्रकरण विशेष में पायी गयी अनियमितता की तीव्रता एवं कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार विभागीय या फौजदारी कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

(3) जी नहीं। प्रकरण विशेष में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है, जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। 8 वर्षों के निर्माण कार्यों की सूची संलग्न है।

(4) जी हां। जिला कलक्टर के आदेशानुसार सरकारी भूमि नगर पालिका उनियारा को आबंटित की जाकर नामान्तरण पालिका के नाम खोल दिया गया है। आबंटित नम्बरान की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। नगरपालिका उनियारा के द्वारा पूर्व से धारित भूमि पर अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं तथा अतिक्रमियों के विरुद्ध पुलिस थाना उनियारा में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रखें दी गयी है।

(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

टोडारायसिंह एवं मालपुरा नगरपालिका क्षेत्र में बाढ़ राहत राशि का अन्यत्र उपयोग

63. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में टोडारायसिंह व मालपुरा नगरपालिका क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों के लिए राशि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कितनी व उसे किन-किन कार्यों पर तथा किन तकनीकी अधिकारियों की राय पर व्यय की गई व उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए

(श्री रणवीर पहलवान)

गये? क्या उक्त कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी? यदि हां, तो निविदा पत्रावली, तकनीकी माप पुस्तिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्यों के लिए आबंटित राशि से नवीन सड़कों का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बाढ़ राहत की राशि से नगरपालिका क्षेत्र में पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाती है? यदि हां, तो नई सड़कों का नियम विरूद्ध निर्माण करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि विगत 5 वर्षों में मालपुरा व टोडारायसिंह नगरपालिका क्षेत्र में बाढ़ से सड़कें टूटी थीं? यदि हां, तो कब व कौन से सन् में?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2007 में नगरपालिका टोडारायसिंह को बाढ़ राहत कार्यो के लिये 1.43 करोड़ रुपये एवं नगरपालिका मालपुरा को 1.38 करोड़ रुपये क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण हेतु प्राप्त हुये थे। कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग की राय पर उक्त राशि का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों में से 10 लाख रुपये से कम लागत के कार्य होने के कारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 21.7.2007 से निर्देशित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित टेंडर कमेटी के दिशा-निर्देशानुसार नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा बीएसआर दर पर करवाये गये थे एवं नगरपालिका मालपुरा द्वारा 16 कार्य बीएसआर दर पर तथा 3 कार्य निविदा आमंत्रित कर करवाये गये हैं जिनकी निविदा पत्रावली, तकनीकी माप पुस्तिका की प्रतिलिपी सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। शेष भाग का उत्तर भाग संख्या-2 के उत्तर में निहित है।

(4) वर्ष 2004 व 2007 में एक साथ वर्षा होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी थीं।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर (भरतपुर) नगरपालिका के बी.पी.एल. कार्डों की जांच

64. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नगर में वर्ष 2006 में बी.पी.एल. कार्ड बनवाने के लिए फार्म भरे गये हैं? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने फार्म भरे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भरे हुए फार्मो में कितने जांच में सही पाये गये व कितने निरस्त किये गये और निरस्त होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भरे गये सभी फार्म गायब कर दिये गये? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है? यदि हां, तो कमेटी को कितना समय दिया गया। क्या कमेटी ने कोई जांच रिपोर्ट दी है? यदि हां, तो इसमें दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बी.पी.एल. योजना से वंचित गरीब परिवारों को जोड़ने के लिए किसी सर्वे या शहर प्रशासन की ओर से कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भाग संख्या 1 के उत्तर के बाद प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) भाग संख्या 1 के उत्तर के बाद प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी हां। शहरी बीपीएल सर्वे 2003 की जारी अन्तिम चयन सूची के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया के द्वारा नाम जोड़ने एवं हटाने के निर्देश विभाग द्वारा दिनांक 17.2.2007 को जिला कलक्टर एवं अन्य सम्बन्धितों को जारी किये जा चुके हैं।

कोटा नगर विकास न्यास द्वारा आबंटित कियोस्कों पर अतिक्रमण

65. श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत दिनों कोटा शहर में नगर विकास न्यास द्वारा लोगों को कियोस्क आबंटित किए गए हैं? यदि हां, तो कितने और किस किस को?

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ कियोस्क अभी आबंटित होना शेष हैं? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शेष कियोस्कों के आबंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कोटा शहर में खाली पड़े हुए कियोस्कों पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा हैं? यदि हां, तो किस-किस ने और कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को शीघ्र हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास द्वारा पूर्व में चिन्हित व्यक्ति जिन्हें किन्हीं कारणों से कब्जा नहीं दिया गया था उन्हें उपलब्ध 66 कियोस्क आबंटित किए गए हैं। सूची परिशिष्ठ ''अ'' पर संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या-1 में उल्लेख के अनुसार आई.एल. चौराहे के समीप आबंटन की कार्यवाही शेष है। उक्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण वर्तमान में स्थगित रखी गई हैं तथा इसके अतिरिक्त महावीर नगर तृतीय चौराहे पर पी.एच.ई.डी. कैम्पस के सहारे सड़क चौड़ा करने के कारण सड़क सीमा में आने वाले अतिक्रमण को पुर्नवासित कर निर्मित कियोस्क आबंटन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) न्यास द्वारा निर्मित कियोस्क में वर्तमान में शेष रहे कियोस्क के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) कोटा शहर में न्यास के खाली पड़े कियोस्कों में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं है।

(5) जैसा कि बिन्दु संख्या-4 में जवाब दिया गया है, कोई अतिक्रमण नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम रामनगरिया, जयपुर में पट्टों का आबंटन

66. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. दिगम्बर सिंह)

(1) क्या यह सही है कि विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना मोहननगर ग्राम रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 62 व 62ए के पट्टे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो पट्टाधारियों के नाम तथा उनको दिये गये पट्टे व साइट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें एवं नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त पट्टे जारी कर दिये जावेंगे?

(3) समिति द्वारा उक्त भूखण्डों का आबंटन किस-किस व्यक्ति को किया गया? पट्टेधारियों के नाम तथा भूखण्डों के साइट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना मोहननगर का अनुमोदन 83वीं बैठक बी.पी.सी. (एल.पी.) दिनांक 29.07.2005 को एवं 102वीं बैठक दिनांक 04.12.2006 को संशोधित मानचित्र अनुमोदित किया गया है।

(2) जी नहीं। भूखण्ड संख्या 62 व 62ए के पट्टे जविप्रा द्वारा आबंटित नहीं किए गए हैं। अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 62 सृजित है तथा भूखण्ड संख्या 62ए सृजित नहीं है। भूखण्ड संख्या 62ए सृजित नहीं होने के कारण पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है तथा भूखण्ड संख्या 62 के आबंटी द्वारा नियमन हेतु आवेदन किया हुआ है। प्रार्थी का सोसायटी द्वारा जारी आबंटन पत्र में नाम भिन्न होने के कारण पट्टा जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 62 से संबंधित मूल आबंटन पत्र साइट प्लान व सदस्यता सूची में नाम अंकित कराने के बाद आवेदन करने पर पट्टे संबंधी कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जा सकेगी।

(3) समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची के अनुसार भूखण्ड संख्या 62ए सृजित नहीं है। भूखण्ड संख्या 62 पर श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री राजनारायण का नाम अंकित है तथा प्रस्तुत आबंटन की फोटो प्रति अनुसार शमैलीनाथ पत्नी श्री प्रभात नाथ के नाम के नाम आबंटन है। प्रार्थी द्वारा साइट प्लान की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राज-शिखर योजना ग्राम जामडोली की आवासीय योजना में सुविधाओं का विस्तार

67. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शान्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर द्वारा वर्ष 1994 में राजशिखर योजना (एल.एन.एम.-आई.आई.टी. कालेज रोड) ग्राम जामडोली, कानोता डेम के पास आवासीय योजना बनाकर पट्टे आबंटित किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति ने योजना का मास्टर प्लान जयपुर, विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करवाया हैं? यदि हां, तो अनुमोदित प्लान एवं भूखण्डधारियों की सूचना मय प्लाट संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में सड़कें, सीवर, पेयजल, रोड लाइट्स आदि की सुविधाएं नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त सुविधायें मुहैया कराने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि समिति द्वारा इसके प्लान में बदलाव कर अनियमित तरीके से पट्टे आबंटित किये गये हैं?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस समिति पर क्षमापक नियुक्त किया गया हैं? यदि हां, तो क्षमापक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शान्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर द्वारा योजना राजशिखर का कोई रिकार्ड जविप्रा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर शहर, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार समिति द्वारा विभाग से नियुक्त प्रशासक/समापक को रिकार्ड नहीं सम्भलाने के कारण रिकार्ड के अभाव में समिति द्वारा सृजित योजनाओं की जानकारी के बिना उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। खण्ड-1 व 2 में अंकित कारणों से प्राधिकरण द्वारा नियमान्तर्गत उक्त सुविधाएं मुहैया कराने का विचार नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।

(5) जी हां। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर शहर, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार शान्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पर नियुक्त समापकों द्वारा समय-समय पर समिति का रिकार्ड प्राप्त करने हेतु अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की गई। तदोपरान्त भी समिति द्वारा रिकार्ड नहीं सम्भलाया गया है।

राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति

68. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में टैंकर से पेयजल आपूर्ति के लिए कितना बजट आबंटित किया गया एवं उसमें से कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष 2010-11 में विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाये रखने के लिए टैंकरों द्वारा जल परिवहन कार्य पर राशि रुपये 54.00 लाख के बजट आबंटन के विरुद्ध राशि रुपये 49.21 लाख का परिवहन कार्य करवाया गया है।

माह जुलाई, 2010 तक इस कार्य हेतु राशि रुपये 26.25 लाख का भुगतान (व्यय) किया जा चुका है तथा शेष राशि रुपये 22.96 लाख का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

अलवर जिले में खनन आबंटन

69. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में गत दो वर्षों में किस-किस खनिज के आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन को कितना-कितना खनन क्षेत्र कहां-कहां आबंटित किया गया व कितने आवेदनकर्ता वंचित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में (तहसील बहरोड़ को छोड़कर) गत दो वर्षों वर्ष 2008-09, 2009-10 में जिस-जिस खनिज में आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए सूची मय विवरण के परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। तहसील बहरोड़ से संबंधित सूचना परिशिष्ट ''क'' पर है।

(2) तहसील बहरोड़ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से संबंधित उक्त सूची में से 85 खनन क्षेत्र जहां-जहां आबंटित किये गये, की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है तथा 21 आवेदनकर्ता कार्यालय द्वारा जारी नोटिसों की पालना नहीं करने के कारण वंचित रहे। तहसील बहरोड़ की सूची (परिशिष्ट ''क'') में से गत दो वर्षों में औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने के कारण कोई खनन क्षेत्र आबंटित नहीं किया गया।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले में मोबाइल चोरी के दर्ज प्रकरणों में कार्यवाही

70. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है जिला अलवर के विभिन्न थानों में मोबाइल चोरी तथा फर्जी नाम से सिम जारी किये जाने के प्रकरण दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो गत दो वर्षों का थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि फर्जी नाम से सिम जारी किये जाने के प्रकरणों में अश्लील/अभद्र एसएमएस तथा धमकियां दिये जाने की शिकायतें भी सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो थानेवार प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई तथा कितने प्रकरणों में नयायालय में चालान पेश किये गये? सिम आवेदन पत्र व आई.डी. प्रूफ की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मोबाइल चोरी/फर्जी सिम जारी करने को रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला अलवर के विभिन्न थानों में दर्ज मोबाइल चोरी के पिछले दो वर्षों का थानेवार विवरण परिशिष्ट–''अ'' पर संलग्न है। फर्जी नाम से सिम

(गृह मंत्री)

जारी किये जाने का सीधे तौर पर कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है, पर परिशिष्ट-''ब'' पर उल्लेखित प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान फर्जी सिम जारी किये जाने का मामला सामने आया है, जिनमें विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है ।

(2) अश्लील/अभद्र एसएमएस तथा धमकियां दिये जाने की शिकायतों एवं उन प्रकरणों में की गयी कार्यवाही का थानेदार विवरण परिशिष्ट–''ब'' पर संलग्न है।

(3) सिम आवेदन-पत्र व आई.डी. प्रूफ की प्रति परिशिष्ट–''स'' पर संलग्न है। इन प्रकरणों के अनुसंधान से इन तीनों ही प्रकरणों में फर्जी सिम जारी किये जाने का मामला सामने आया है।

(4) मोबाइल चोरी करना व फर्जी सिम जारी करना कानून अपराध है एवं कानून के तहत ऐसे प्रकरणों में अपराधी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। मोबाइल डीलर्स को समय-समय पर थाना स्तर पर विशेष हिदायत भी दी जाती है कि वे आई.डी. प्रूफ की पूर्ण जांच कर ही सिम जारी करें।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर में वाहनों की गतिमापक मशीन का उपयोग

71. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर विकास प्रन्यास में यातायात पुलिस को दो वर्ष पूर्व वाहनों की गति नापने की मशीन सौंपी थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि यातायात पुलिस ने वाहनों की अधिक गति पर नियंत्रण के लिये इस मशीन का अब तक उपयोग नहीं किया हैं? यदि हां, तो क्यों व इस मशीन का उपयोग नहीं होने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा यातायात पुलिस उदयपुर को दिनांक 19.01.2009 को वाहनों की गति नापने की इन्टरसैप्टर मशीन सौंपी गई थी।

(2) जी नहीं। यातायात पुलिस उदयपुर द्वारा मशीन प्राप्त होने के पश्चात् इस मशीन का उपयोग बलीचा बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर

(गृह मंत्री)

सीमा से अधिक गति पर चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए किया गया।

अलवर जिले में वनों की अवैध कटाई में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

72. **डा. जयवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में गत दो वर्षों में वनों की अवैध कटाई के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितने-कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के वनों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और सरकार द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वन क्षेत्रों से चोरी छिपे अवैध छंगान एवं कटान करने वाले मुल्जिमों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उक्त अवैध कटान में कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। अतः कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

जिला अलवर में पिछले दो वर्षों में वनों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में तहसीलवार सूचना

क्र सं.	तहसील	अवैध कटाई के प्रकरणों की संख्या
1	अलवर	647
2	राजगढ़	174
3	थानागाजी	184
4	लक्ष्मणगढ	9
5	रामगढ़	15
6	कठूमर	21
7	किशनगढ़बास	25

क्र सं.	**तहसील**	**अवैध कटाई के प्रकरणों की संख्या**
8	तिजारा	93
9	कोटकासिम	9
10	बहरोड़	41
11	बानसूर	110
12	मुण्डावर	76

बायतू विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

73. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों को सड़कों से जोड़ा गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बायतू के इस श्रेणी के कितने राजस्व ग्रामों को लाभान्वित नहीं किया गया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना से वंचित राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित सामान्य क्षेत्र की 500 व इससे अधिक तथा मरू एवं जनजातीय क्षेत्र की 250 व इससे अधिक आबादी की पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र बायतू मरूक्षेत्र की श्रेणी में है व इसमें वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित 250 व इससे अधिक आबादी के कुल 359 राजस्व ग्राम हैं जिनमें से 339 राजस्व ग्राम सड़क से जुड़े हुए हैं व शेष 20 राजस्व ग्रामों का सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृति उपलब्ध है परन्तु इन्हें अब तक सड़क से नहीं जोडा जा सका है- इन 20 राजस्व ग्रामों की सूची मय विवरण परिशिष्ट '1' में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों से वंचित वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सामान्य क्षेत्र के 250 से 499 तक की

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

आबादी एवं मरूस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्र के 250 से कम आबादी के सड़क से बिना जुड़े राजस्व ग्रामों को महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है।

विधान सभा क्षेत्र बायतू मरूस्थलीय क्षेत्र की श्रेणी में आता है। इसमें वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से कम आबादी के 22 राजस्व ग्राम हैं जिनमें से 12 राजस्व ग्राम सड़क से जुड़े हुए हैं एवं शेष 10 राजस्व ग्राम सड़क से वंचित हैं जिनकी स्वीकृति महानरेगा योजनान्तर्गत जारी की जा चुकी है एवं सूची परिशिष्ट '2' में प्रस्तुत है।

इन सड़क से वंचित राजस्व ग्रामों को महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल सड़क से जोड़ना श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए की गयी मांग एवं श्रमिकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अपूर्ण निर्माण कार्य

74. श्री बाबूसिंह राठौड (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2009 से अब तक कौन-कौन सी नवीन सड़क कितनी राशि की स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009 से अब तक तहसील शेरगढ़ में कौन-कौन सी सड़कों का कितना पेच वर्क व मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई ? सड़कवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2009 से अब तक उक्त तहसील में भवनों के निर्माण, मरम्मत, अस्पताल, विद्यालयों, चारदीवारी व भवन (बिल्डिंग) से संबंधित किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि के व कितने-कितने कार्य पूर्ण अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूरा का दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जनवरी, 2009 से जुलाई, 2010 तक नवीन सड़क के स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट '1' पर प्रस्तुत है।

(2) माह जनवरी, 2009 से माह जुलाई, 2010 तक शेरगढ़ तहसील में सडकों पर पेच कार्यों पर 67.42 लाख रुपये व मरम्मत के कार्यों पर

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

157.96 लाख रुपये का व्यय किया गया है। जिसकी सड़कवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट '2' व '3' पर प्रस्तुत है।

(3) जनवरी, 2009 से जुलाई, 2010 तक शेरगढ़ तहसील में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सा.नि.वि., सर्व शिक्षा अभियान विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भवनों के निर्माण व मरम्मत हेतु 149 कार्य स्वीकृत हुए, जिनकी अनूमानित लागत रुपये 352.09 लाख थी । जिसके विरुद्ध रुपये 218.04 लाख व्यय करके 76 कार्य पूर्ण किये गये, 67 कार्य प्रगतिरत व 6 कार्यों के निर्माण हेतु भूमि आबंटन एवं निविदायें प्रक्रियाधीन है। प्रगतिरत कार्यों को माह फरवरी 2011 तक पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण प्रस्तुत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत लाइनें

75. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई विद्यालय भवनों एवं खेल मैदानों के ऊपर से विद्युत लाइनें गुजर रही हैं, जिससे कई हादसे हो चुके हैं? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय हैं, जिनके ऊपर से विद्युत लाईनें गुजर रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्युत लाइनों को विद्यालयों भवनों एवं खेल मैदानों के ऊपर से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों तथा खेल मैदानों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

जिला बाड़मेर के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत भवनों तथा खेल मैदानों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं। पिछले वर्ष में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में विद्युत हाउसे की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) विद्यालय भवनों तथा खेल मैदानों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनें हटवाने हेतु निदेशालय द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने पत्र दिनांक 2.7.2008 द्वारा जिला कलक्टर को लिखा गया है, जिला कलक्टर ने पत्र दिनांक 12.12.2008 के द्वारा सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग को विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही लाइनें हटाने हेतु लिखा गया है।

परिशिष्ट 'क'

बाड़मेर जिले के ऐसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनके भवन तथा खेल मैदान के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	राप्रावि अमरजी की ढाणी, सवाऊ पदमसिंह	
2	राप्रावि रतेउ	
3	राप्रावि ओकातिया	
4	राप्रावि विश्नोइयों की ढाणी	
5	राप्रावि चंवा	
6	राप्रावि इन्द्रा कालोनी	
7	राप्रावि भीलों की ढाणी	
8	राप्रावि धनवा	
9	राप्रावि जूना मीठा खेड़ा	
10	राप्रावि सिणधरी छात्र	
11	राउप्रावि कैरली नाड़ी	
12	राउप्रावि आदर्श चवा	
13	राउप्रावि पनावडा	
14	राउप्रावि रावतसर	

परिशिष्ट 'ख'

बाड़मेर जिले के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों के भवन, खेल मैदानों एवं छात्रावास भवनों के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है, का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	**विद्यालय का नाम**	**विशेष विवरण**
1	राउमावि, चवा	
2	राउमावि, पादरू	
3	राउमावि, मूठली	
4	राउमावि धनाउ	
5	राउमावि सिणधरी	
6	राउमावि गुडामलानी	
7	राउमावि बायतू	
8	राबाउमावि अंतरी देवी, बाड़मेर	
9	रामावि जेठन्तरी	
10	रामावि भाडखा	
11	रामावि भोजासर	
12	रामावि, चौहटन आगौर	
13	रामावि गूंगा	
14	राबामावि पादरू	
	निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय	
15	नवकार उमावि सिणधरी	

मालपुरा (टोंक) टाउन नं. 2 के शिक्षक को निलम्बनकाल में देय सुविधा

76. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रणवीर पहलवान)

(1) क्या यह सही है कि श्री जतन लाल जाट, अध्यापक, टाउन नं. 02 मालपूर, जिला टोंक को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किस कारण तथा कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित है? यदि हां, तो जांच अधिकारी कौन है और उन पर क्या आरोप हैं? क्या संबंधित शिक्षक को सरकार द्वारा आरोप-पत्र दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक को निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता दिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार पीड़ित अध्यापक को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि मालपुरा ब्लाक में निलम्बित शिक्षकों को निलम्बन काल में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो किन-किन को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) मालपुरा ब्लाकक में ऐसे कितने शिक्षक हैं, जिनको अभी तक छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया? क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारी को दण्ड देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के आदेश दिनांक 27.11.2008 के द्वारा राजनीति अतिविधियों में भाग लेने के कारण श्री जतन लाल जाट, अध्यापक, रा.प्रा.वि. टाउन नं. 2 मालपुरा को निलम्बित किया गया है।

(2) जी हां। श्री गोपीलाल बैरवा, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मालपुरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सम्बन्धित अध्यापक को चुनाव गतिविधियों में भाग लेने, नियमित रूप से अध्यापन कार्य नहीं करवाने के आरोप हैं, जिस पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील्स) नियम 1958 के नियम 16 में आरोप पत्र जारी किया गया है।

(3) जी नहीं। संबंधित अध्यापक द्वारा निर्वाह भत्ते हेतु आवेदन नहीं किये जाने पर निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया गया। अब निर्वाह भत्ते के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी हां, श्री मोहम्मद इम्तियाज तथा श्री इम्तियाज अली निलम्बित अध्यापकों की वेतन वृद्धियों स्वीकृत की गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. टौंक द्वारा वेतन वृद्धि आदेश निरस्त कर भुगतान की गई राशि वसूल कर राजकोष में जमा करवाने हेतु ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मालपुरा को निर्देशित किया गया है।

(5) मालपुरा ब्लाक में शिक्षा के 11 शिक्षकों को विभिन्न कारणों यथा निलम्बन, अवकाश प्रकरण बकाया होने आदि कारणों से छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है, जिसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं।

शिक्षा विभाग में स्वीकृत बजट राशि का उपयोग

77. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में शिक्षा विभाग के निर्धारित बजट में से कितना-कितना बजट किस-किस मद में व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बजट में से शिक्षा की गुणवत्ता, वेतन भत्तों व सुख सुविधाओं एवं स्कूल भवन बनाने तथा उनकी मरम्मत पर कितना-कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षो में शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) के बजट में से वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में व्यय की गई राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' पर संलग्न है।

(2) उक्त बजट में से शिक्षा की गुणवत्ता, वेतन भत्तों एवं सुख सुविधाओं एवं स्कूल भवन बनाने एवं उनकी मरम्मत पर किये गये खर्च का मदवार विवरण परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-क

प्रा. शि. शिक्षा विभाग द्वारा गत दो वर्षों में मदवार व्यय इस प्रकार है

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद	वर्ष 2008-09			वर्ष 2009-10		
		आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.
1	संवेतन	205462.83	502.48	1734.81	247744.52	928.86	1968.97
2	यात्रा व्यय	374.31	0.16	15.49	368.53	13.57	15.20
3	चिकित्सा व्यय	642.30	0.00	6.72	647.40	0.06	12.71
4	कार्यालय व्यय	268.86	6.28	0.15	258.56	10.59	0.28
5	वृतिका व विशिष्ठ सेवाएं	31.79	0.00	0.00	31.74	0.00	0.00
6	वर्दियां व अन्य सेवाएं	28.86	0.00	0.00	28.71	0.00	0.00
7	किराया, कर, रेट, रायल्टी	60.06	0.00	0.00	59.93	0.00	0.00
8	विज्ञापन विक्रय, प्रचार	5.90	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00
9	सहायतार्थ अनुदान	159224.24	66096.58	0.00	196322.38	70745.98	0.00

क्र.सं.	मद	वर्ष 2008-09			वर्ष 2009-10		
		आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.
10	कार्यालय वाहन किराया	19.99	2.25	87.58	19.64	2.84	0.00
11	मशीनरी साज सामान	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
12	कार्या. वाहन संधारण	2.09	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
13	कार्यकलाप वा. संधारण	0.70	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00
14	विविध व्यय	22.69	113.02	89.28	21.76	95.24	73.64
15	विभाग की विशिष्ठ सेवा	19.61	0.00	0.00	14.09	0.00	0.00
16	पुस्तकालय	8.02	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00
17	प्रयोगशाला	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
18	छात्रवृत्ति	320.51	0.00	0.00	1292.71	0.00	0.00
19	अनुरक्षण व मरम्मत	28.04	0.00	0.00	24.11	0.00	0.00
20	प्रकाशन	1.60	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00

क्र.सं.	मद	वर्ष 2008-09			वर्ष 2009-10		
		आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.
21	सामग्री प्रदाय	1.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
22	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें	3591.15	0.00	0.00	3409.92	0.00	0.00
23	मरम्मत (SIERT)	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
24	संविदा सेवाएं	4.99	1.28	0.00	4.95	1.44	0.00
25	प्रशिक्षण	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	अंशदायी पेंशन योजना	743.47	0.00	0.00	1399.11	0.00	0.15
27	अनुसंधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.71
28	वृहद निर्माण (दे.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	योग	370864.61	66726.05	1944.03	451658.88	71838.68	2152.66

परिशिष्ट- ख

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION RAJASTHAN. BIKANER
EXPENDITURE BUDGET FOR THE YEAR 2008-09 & 2009-10

(Rs in Lacs)

S. No.	DETAIL HEAD	ACTUAL EXPENSES (2008-2009)				ACTUAL EXPENSES (2009-2010)			
		NON-PLAN	PLAN	C.S.S.	TOTAL	NON-PLAN	PLAN	C.S.S.	TOTAL
1	01-SALARY	245751.70	4643.09	153.11	250547.90	284215.34	8414.15	197.69	292827.18
2	03-TRAVELLING EXPENSES	583.08	10.93	0.34	594.35	609.49	39.45	0.48	649.40
3	04-MEDICAL CHARGES	727.18	8.25	0.57	736.00	768.17	32.46	0.43	801.06
4	05-OFFICE EXPENSES	337.14	60.97	0.18	398.29	331.13	55.95	0.54	387.62
5	07-MAINTENANCE OF OFFICE VEHICLES	10.09	0.83	0.00	10.92	9.68	0.89	0.00	10.57
6	08-PPS	10.95	0.00	0.00	10.95	17.34	0.00	0.00	17.34
7	09-RENT RATE & TAXES	18.56	0.00	0.00	18.56	20.14	0.00	0.00	20.14
8	10-PUBLICATION	12.61	0.00	0.00	12.61	15.20	0.00	0.00	15.20
9	11-ADVERTISEMENT & PUBLICITY	5.93	0.00	0.00	5.93	4.53	0.00	0.00	4.53
10	12-GRANT IN AID	4225.51	99.60	244.13	4969.24	4788.70	1017.32	984.48	6790.50
11	13-SCHOLARSHIP	1365.66	141.46	0.00	1507.12	1643.79	1299.81	306.76	3250.36
12	17-MAJOR CONSTRUCTION WORK	0.00	770.99	0.00	770.99	0.00	234.64	0.00	234.64
13	18-MACHINERY. EQUIP. TOOLS & PLANTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
14	20- MAINT. OF FUNCTIONAL VEHICLES	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90
15	21-MAINTENANCE	71.98	14.06	0.00	86.02	48.77	9.25	0.00	58.02

(Rs in Lacs)

S. No.	DETAIL HEAD	ACTUAL EXPENS (2008-2009)				ACTUAL EXPENSES (2009-2010)			
		NON-PLAN	PLAN	C.S.S.	TOTAL	NON-PLAN	PLAN	C.S.S.	TOTAL
16	22-MATERIAL & SUPPLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	26-WRITE OFF/ LOSSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	28-OTHER CHARGES (OC)	57.61	926.24	8.20	992.05	84.00	1284.10	488.30	1856.40
19	29-SEMINARS MEETING AND FUNCTION	10.00	4.00	0.00	14.00	8.81	1.53	0.00	10.34
20	31-LIBRARY	1429.38	3.33	0.00	1432.71	1429.18	14.86	0.00	1444.04
21	32-DECRETAL CHARGES	2.25	0.00	0.00	2.25	1.77	0.00	0.00	1.77
22	33-LABORATRIES	53.35	2.37	0.00	55.72	53.14	15.61	0.00	68.75
23	36-RENT FOR OFFICE VEHICLES	0.00	8.79	0.00	8.79	0.75	9.61	0.00	10.36
24	37-LEVERAGE (VARDI)	91.34	0.00	0.00	91.34	89.82	0.00	0.00	89.82
25	38-STATIONERY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	39-PRINTING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	41-CONTRACT SERVICES	1.89	0.00	0.00	1.89	1.98	0.00	0.00	1.98
28	57-SPECIAL SERVICES FOR DEPTT.	838.28	1.99	8.45	848.72	125.13	10.86	12.90	148.89
29	62-EXP. ON IT & EQUIPMENTS	0.00	388.41	1141.51	1529.92	0.00	557.86	2128.30	2686.16
30	89-GOVT. COINTRIBUTION IN CIPP	257.47	0.00	0.00	257.47	401.07	0.00	0.00	401.07
	TOTAL	256262.87	7085.31	1556.49	264904.64	294668.83	12998.35	4119.88	311787.06

प्रश्न संख्या-78

(स्थगित)

हनुमानगढ़ जिले में शिक्षा से वंचित बालक

79. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों को सर्वे कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो जिला हनुमानगढ़ में उक्त कार्य कब करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सर्वे के उपरान्त कितने बच्चे शिक्षा से वंचित पाये गये ? जिला हनुमानगढ़ का विधान सभा क्षेत्रवार व ग्रामवार बच्चों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला हनुमानगढ़ में यह कार्य 8 जुलाई से 25 जुलाई, 2010 के मध्य सम्पन्न करवाया गया।

(2) सर्वे कार्य आई.सी.आर. (Intelligent Character Recognition) प्रपत्रों द्वारा सम्पन्न करवाया गया। आई.सी.आर. प्रपत्रों की स्केनिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है। स्केनिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही ब्लाकवार, ग्रामवार बच्चों का विवरण प्राप्त हो सकेगा।

(3) वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आयु अनुरूप कक्षा में नामांकन करवाया जायेगा तथा कक्षा अनुरूप दक्षता हेतु विशेष प्रशिक्षण यथा आवासीय ब्रिज कोर्स, गैर आवासीय ब्रिज कोर्स, शिक्षा मित्र केन्द्रों के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।

पोंग डेम से फसल सिंचाई हेतु कार्य योजना

80. **श्री पवन दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पोंग डेम की पूर्ण भराव की स्थिति में कोई फसलीय चक

(श्री पवन दुग्गल)

लागू करने का विचार रखती है ? क्या इस हेतु कोई ठोस रणनीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? नीति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बी.बी.एम.बी. द्वारा बांधों की फिलिंग अवधि 21 मई से 20 सितम्बर तक मानी जाती है । 21 सितम्बर को बांधों में उपलब्ध पानी के आधार पर आगामी डिप्लीशन अवधि (21 सितम्बर, 2010 से 20 मई, 2011) हेतु उपलब्ध होने वाले पानी का सही आकलन किया जायेगा।

राज्स सरकार द्वारा आदेश दिनांक प.7(9)/सिं/का.क./2004 दिनांक 14.05.2005 (प्रतिलिपि प्रपत्र-'अ' पर संलग्न) द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में जल वितरण एवं उपयोग हेतु परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय चरण की परामर्शदात्री समितियों के क्रमशः मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, इगांनप, जैसलमेर अध्यक्ष हैं। इन समितियों में सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, कृषि विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा परियोजना के सिंचित क्षेत्र के माननीय सांसदगण, विधायकगण एवं जिला प्रमुख सदस्य हैं। रबी की फसल में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाये जाने के लिए इन परामर्शदात्री समितियों की बैठक आयोजित कर बैठकों में जल उपलब्धता पर विचार-विमर्श कर नहरों में पानी चलाये जाने के कार्यक्रम की अनुशंसा आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इगांनप, बीकानेर को प्रस्तुत की जायेगी। इन समितियों की अनुशंसाओं को मध्यनजर रखते हुए आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इगांनप, बीकानेर द्वारा नहरों को चलाये जाने का अनुमोदन किया जायेगा तथा अनुमोदित चक्रीय कार्यक्रम के अनुसार नहरों में रबी की फसल हेतु पानी उपलब्ध करवाया जायेगा।

गंग नहर प्रणाली में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में जल वितरण समिति गठित है जिसके द्वारा गंग नहर में जल विवरण के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

प्रपत्र-अ

राजस्थान सरकार

सिंचाई सिंचित क्षेत्र एवं इन्दिरा गांधी नहर विभाग

क्रमांक : प.7(9)सिं/मा.क/2004 जयपुर दिनांक 14.05.2005

आज्ञा

आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6600-6621 दिनांक 21.8.1990 एवं संशोधन आदेश क्रमांक 8203-8226 दिनांक 25.10.1990 के अतिक्रमण में इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के चरण प्रथम एवं द्वितीय में जल वितरण/उपयोग हेतु परामर्शदात्री समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

(अ) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण (मुख्य नहर की आर.डी. 620 तक)

1.	मुख्य अभियन्ता (उत्तर) सिंचाई हनुमानगढ़	अध्यक्ष
2.	परियोजना के सिंचित क्षेत्र के सांसदगण	सदस्य
3.	परियोजना के सिंचित क्षेत्र के विधायकगण	सदस्य
4.	कलक्टर हनुमानगढ़/उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
5.	कलक्टर, श्रीगंगानगर/उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
6.	कलक्टर, बीकानेर/उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता, सिंचाई श्रीविजयनगर	सदस्य
8.	अधीक्षण अभियंता, सिंचाई सूरतगढ़	सदस्य
9.	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हनुमानगढ़	सदस्य
10.	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग श्रीगंगानगर	सदस्य
11.	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण-I, बीकानेर	सदस्य
12.	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण-II, बीकानेर	सदस्य
13.	उप निदेशक, कृषि विस्तार, हनुमानगढ़	सदस्य
14.	उप निदेशक, कृषि विस्तार, श्रीगंगानगर	सदस्य
15.	परियोजना निदेशक, कृषि विस्तार, इ.गा.न.प. बीकानेर	सदस्य
16.	अधीक्षण अभियंता, सिंचाई, हनुमानगढ़	सदस्य सचिव

(ब) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण (मुख्य नहर की आर.डी. 620 से टेल तक)

1.	मुख्य अभियन्ता, इ. गा. न. प. जैसलमेर।	अध्यक्ष
2.	परियोजना के सिंचित क्षेत्र के सांसदगण	सदस्य
3.	परियोजना के सिंचित क्षेत्र के विधायकगण	सदस्य
4.	कलक्टर जैसलमेर/उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
5.	कलक्टर, बीकानेर/उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता, द्वितीय चरण वृत्त-II, इ.गा.न.प., बीकानेर	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता, द्वितीय चरण-III, इ.गा.न.प., बीकानेर	सदस्य
8.	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण-I, बीकानेर	सदस्य
9.	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण-II, बीकानेर	सदस्य
10.	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जैसलमेर	सदस्य
11.	परियोजना निदेशक, कृषि विस्तार, इ.गा.न.प. बीकानेर	सदस्य
12.	सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जैसलमेर	सदस्य
13.	अधीक्षण अभियंता, द्वितीय चरण वृत्त-I, इ.गा.न.प., बीकानेर।	सदस्य सचिव

रबी एवं खरीफ फसलों की बिजाई से पूर्व मुख्य, अभियंता, सिंचाई (उत्तर) एवं मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर इन्दिरा गांधी नहर हेतु उपलब्ध पानी के आंकलन एवं दिनांक 11.12.2004 को किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति, घड़साना एवं सरकार के मध्य हुए समझौते के अनुसार जल वितरण का कार्यक्रम बनायेंगे। इन फसलों की परिपक्वता अवधि के मध्य एक बैठक और की जायेगी, जिसमें पूर्व के आंकलन में पाई भिन्नता तथा शेष अवधि में जल की अनुमाणित उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार जल वितरण कार्यक्रम को संशोधित करेंगे। दोनों मुख्य अभियंता जल वितरण कार्यक्रम में सामंजस्य बनाये रखने की दृष्टि से आपसी ताल-मेल बनाकर ही अपनी सिफारिशें आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर को प्रेषित करेंगे।

उपरोक्त दोनों परामर्शदात्री समितियों की अनुशंसा पर आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर इन्दिरा गांधी नहर हेतु आबंटित जल के दोनों चरणों में समुचित उपयोग एवं वितरण हेतु जल वितरण कार्यक्रम (Water Regulation) का निर्धारण करेंगे जिसके अनुरूप मुख्य अभियंता, सिंचाई उत्तर, हनुमानगढ़ एवं मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर अपने-अपने क्षेत्र में जल वितरण करेंगे।

क्रम संख्या 2 व 3 पर सिंचित क्षेत्र के सांसदगण व विधायकगण की उपरोक्त समिति में सदस्यता माननीय लोकसभा/विधान सभा अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर है।

ह./-
(एस.एन. थानवी)
शासन सचिव, सिंचाई,
सिंचित क्षेत्र विकास एवं
इन्दिरा गांधी नहर विभाग

राजस्थान सरकार
जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर विभाग

क्रमांक : प.7(9)ओ.एस.डी./जसं/2004 जयपुर दिनांक 27.12.2007

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.5.2005 की निरन्तरता में इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में जल वितरण/उपयोग हेतु गठित परामर्शदात्री समिति में निम्न जिला प्रमुखों को भी सदस्य मनोनीत किया जाता है। समिति के शेष सदस्य यथावत रहेंगे।

(अ) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण (मुख्य नहर की आर.डी. 620 तक)

1. जिला प्रमुख, गंगानगर।
2. जिला प्रमुख, हनुमानगढ़।
3. जिला प्रमुख, बीकानेर।
4. जिला प्रमुख, चूरू।

(ब) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण (मुख्य नहर की आरडी 620 से टेल तक)

1. जिला प्रमुख, बीकानेर।
2. जिला प्रमुख, जोधपुर।
3. जिला प्रमुख, जैसलमेर

ह./-
(एस.एन. थानवी)
प्रमुख शासन सचिव

साधारण सबमर्सिबल पम्प सैट के स्थान पर फाइव स्टार रेटिंग वाले पम्प सैटों हेतु आमंत्रित निविदाएं

81. **श्री ओम बिरला** (कोटा-दक्षिण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा साधारण सबमर्सिबल पम्प सैट के स्थान पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से फाइव स्टार रेटिंग वाले पम्प सैट खरीदने का निर्णय लिया है ? यदि हा, तो क्यों व कब से तथा किस आदेश से ? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मई, 2010 से जुलाई, 2010 के मध्य पम्प सैट खरीदने हेतु कोई निविदा आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब-कब व कितने पम्प सैट कितनी राशि के क्रय किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई एवं इनमें प्रत्येक में कितनी-कितनी फर्मों ने भाग लिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक फर्म विशेष को क्रयादेश देने की साजिश के तहत उक्त निविदा जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त निविदाओं को निरस्त कर पुरानी प्रक्रिया को ही लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उच्च दक्षता वाले फाइव स्टार रेटिंग सबमर्सिबल पम्प सैटों के प्रयोग से विभागीय नलकूपों पर होने वाले विद्युत व्यय को कम करने हेतु विभाग की 182वीं नीति निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2010 को तत्संबंधी निर्णय लिया गया है । निर्णय की प्रति संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां । विभाग द्वारा निविदा संख्या सब पम्प/10-11/95 दिनांक 28 मई, 2010 द्वारा आई.एस.आई. मार्क फाइव स्टार रेटिग सबमर्सिबल पम्प सैट क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा दर संविदा आधार पर 12 माह में खरीदे जाने वाले पम्प सैटों हेतु आमंत्रित की गई थी जिसकी अनुमानित लागत राशि रुपये 15.00 करोड़ है। उक्त निविदा में 14 फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय किये गये थे एवं केवल एक फर्म द्वारा ही निविदा प्रस्तुत की गई ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं । उक्त निविदा में प्राप्त एकमात्र निविदा का दर विश्लेषण की प्रक्रिया जारी है। दर विश्लेषण के पश्चात् सक्षम स्तर पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा । पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने का इरादा नहीं हैं क्योंकि कम कुशलता के पम्प सैट से अधिक व्यय आता है । उच्च कुशलता के पम्प सैट क्रय हेतु अधिक से अधिक प्रतिस्पर्द्धा हो, इस हेतु सरकार उचित कदम उठायेगी ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल, मिड-वे, मोटल

82. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा कितने होटल, मिड-वे, मोटल आदि संचालित किए जा रहे हैं तथा उनमें कितने लाभ/हानि में चल रहे हैं ? लाभ हानि दर्शात हुए स्थानवार पृथक्-पृथक् नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनों का संचालन स्वयं निगम द्वारा, कितनों का ठेका पद्धति या प्रतिमाह लाइसेन्स फीस आदि के आधार पर या अन्य तरीकों से किया जा रहा है ? पृथक्-पृथक् सूची मय कारण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निगम द्वारा उक्त क्रमोन्नयन, आधुनिकीकरण, पूर्ण कम्प्यूटरीकरण वेलपोरटल के माध्यम से इन्टरनेट, आनलाइन आरक्षण सहित विभिन्न सुविधाएं एवं सेवाऐं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर क्या-क्या तथा शेष स्थानों पर उक्त कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

(4) क्या बन्द एवं घाटे में चल रही इकाइयों का सही संचालन के लिए लाइसेन्स पर अथवा ठेके पर दिया जाने तथा शेष को पूर्ण विक्रय करने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 33 होटल, 10 मिड-वे/मोटल, 1 कैफेटेरिया, 2 शाही रेलगाड़ियां, 1 यातायात इकाई और 1 पैकेट ट्यूर इकाई संचालित किए जा रहे है। वर्ष 2009-10 में संचालित होटल व मोटलों में

(पर्यटन मंत्री)

से 18 लाभ व 30 इकाइयां हानि में थे। इकाईवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) निगम द्वारा 48 होटल/मोटल/कैफेटेरिया स्वयं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

6 इकाईयों को प्रतिमाह लाईसेंस फीस पर दी गई हैं, सूची परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(3) निगम द्वारा बारह इकाइयों में क्रमोन्नयन एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत होटल मैनेजमेन्ट सोफ्टवेयर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 8 इकाइयों में कार्य चल रहा है, सूची परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

निगम द्वारा होटल एवं मोटलों का अग्रिम आरक्षण सोफ्टवेयर बनवाकर निगम की वेबसाईट www.rtdc.in पर आनलाइन बुंकिग सोफ्टवेयर द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इकाइयों के साथ-साथ निगम के आरक्षण केन्द्रों यथा जयपुर, मुम्बई, देहली, कोलकाता, चैन्नई एवं अहमदाबाद से भी यह सुविधा प्रदान की जा रही है।

(4) अभी कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट -अ

आय-व्यय, लाभ-हानि का मानचित्र वर्ष 2009-10 (आनआडिटेड)

(राशि रु. लाखों में)

क्र. सं.	होटल/मोटल का नाम	आय	व्यय	लाभ/हानि
1.	होटल खादिम अजमेर	233.26	172.91	+60.35
2.	मोटल बर	35.46	49.40	-13.94
3.	होटल वृन्दावती	5.16	11.48	-6.32
4.	होटल चम्बल कोटा	51.99	56.91	-4.92
5.	होटल सरोवर पुष्कर	42.15	55.70	-13.55
6.	होटल ढोलामारू बीकानेर	72.10	78.61	-6.51
7.	होटल चिरमी चूरू	0.78	8.36	-7.58

क्र. सं.	होटल/मोटल का नाम	आय	व्यय	लाभ/हानि
8.	होटल हवेली फतेहपुर	10.17	19.62	-9.45
9.	होटल झुन्झुनूं	5.92	10.57	-4.65
10.	मिडवे रतनगढ़	7.94	12.46	-4.52
11.	होटल मूमल जैसलमेर	96.39	73.58	+22.81
12.	होटल घूमर जोधपुर	163.25	151.00	+12.25
13.	होटल पनिहारी पाली	29.16	27.41	+1.75
14.	मिड वे पोकरण	15.56	20.10	-4.54
15.	होटल सम जैसलमेर	00	00	00
16.	होटल सारस भरतपुर	25.82	55.49	-29.67
17.	मिडवे दौसा	3.88	14.10	-10.22
18.	मिडवे धौलपुर	00	00	00
19.	होटल गणगौर जयपुर	318.49	289.45	+29.04
20.	होटल स्वागतम जयपुर	97.10	136.65	-39.55
21.	झील रामगढ़	3.52	4.93	-1.41
22.	मिडवे महुआ	47.51	82.53	-35.02
23.	होटल झूमर बावड़ी सवाईमाधोपुर	56.25	51.70	+4.55
24.	होटल विनायक सवाईमाधोपुर	56.45	48.20	+8.25
25.	होटल मीनल अलवर	20.57	37.86	-17.29
26.	मिडवे बहरोड़	690.39	409.50	+280.89
27.	होटल तीज जयपुर	161.02	172.68	-11.66
28.	दुर्ग कैफेटेरिया नाहरगढ़	64.60	83.14	-18.54
29.	होटल टाइगर डेन सरिस्का	79.23	65.14	+14.09

क्र. सं.	होटल/मोटल का नाम	आय	व्यय	लाभ/हानि
30.	मोटल शाहपुरा	7.46	17.00	-9.54
31.	होटल लेक पैलेस सिलीसेढ़	55.18	54.20	+0.98
32.	होटल पन्ना चित्तौड़गढ़	77.80	73.80	+4.00
33.	मिडवे देवगढ़	3.18	8.01	-4.83
34.	होटल शिखर मा. आबू	119.80	87.67	+32.13
35.	होटल गोकुल नाथद्वारा	38.99	38.51	+0.48
36.	होटल शिल्पी रणकपुर	12.28	18.89	-6.61
37.	मिडवे रतनपुर	28.10	31.10	-3.00
38.	होटल गवरी ऋषभदेव	37.12	33.50	+3.62
39.	होटल कजरी, उदयपुर	174.65	139.48	+35.17
40.	होटल चन्द्रावती, झालावाड़	9.45	10.37	-0.92
41.	यातायात इकाई, जयपुर	105.00	123.05	-18.05
42.	पैकेज ट्यूर, नई दिल्ली	71.00	54.19	+16.81
43.	होटल गवडी तालाब, झालावाड	22.80	23.32	-0.52
44.	होटल कुंरजा, नागौर	1.46	9.10	-7.64
45.	ट्यूरिस्ट विलेज, पुष्कर	8.00	18.02	-10.02
46.	गनाहेडा, पुष्कर	6.50	4.98	+1.52
47.	शाही रेल गाड़ी	1863.09	998.13	+864.96
48.	रायल राजस्थान आन व्हील्स	1300.00	1377.47	-77.47
	कुल योग	6335.98	**5320.27**	**+1015.71**

परिशिष्ट-ब

निगम द्वारा संचालित इकाईयां

होटल

क्र.सं.	होटल का नाम
1.	होटल खादिम अजमेर
2.	गणगौर जयपुर
3.	शिखर मा. आबू
4.	कजरी उदयपुर
5.	मूमल जैसलमेर
6.	घूमर जोधपुर
7.	समढाणी जैसलमेर
8.	गावड़ी तालाब झालावाड़
9.	सरोवर पुष्कर
10.	तीज जयपुर
11.	विनायक सवाईमाधोपुर
12.	झूमर बावड़ी सवाईमाधोपुर
13.	चन्द्रावती झालावाड़
14.	टाईगर डेन सरिस्का
15.	झुन्झुनूं
16.	गोकुल नाथद्वारा
17.	पनिहारी पाली
18.	चिरमी चूरू
19.	गवरी ऋषभदेव
20.	पन्ना चित्तौड़गढ़
21.	हवेली फतेहपुर
22.	शिल्पी रणकपुर
23.	लेक पैलेस सिलीसेढ़

क्र.सं.	होटल का नाम
24.	टूरिस्ट विलेज पुष्कर
25.	टूरिस्ट विलेज रामगढ़
26.	चम्बल कोटा
27.	वृन्दावती बून्दी
28.	ढोलामारू बीकानेर
29.	मीनल अलवर
30.	स्वागतम जयपुर
31.	सारस भरतपुर
32.	गनाहेडा पुष्कर
33.	कुंरजा नागौर
34.	शाही रेलगाड़ी (पीओडब्ल्यू)
35.	रायल राजस्थान आन व्हील (पीओडब्ल्यू)
36.	यातायात इकाई, जयपुर
37.	पैकेज ट्यूर देहली

मोटल

क्र.सं.	मोटल का नाम
1.	बहरोड़
2.	रतनपुर
3.	धौलपुर
4.	पोकरण
5.	देवगढ़
6.	रतनगढ़
7.	दौसा
8.	शाहपुरा
9.	बर
10.	महुआ

कैफेटेरिया :-	
क्र.सं.	**कैफेटेरिया का नाम**
1	दुर्ग नाहरगढ़

परिशिष्ट-स

लाईसेंस पर संचालित इकाइयां

1. यात्रिका नाथद्वारा
2. कैफेटेरिया सरोवर, मा. आबू
3. कैफेटेरिया अपोलो मा. आबू
4. कैफेटेरिया गढीसर, जैसलमेर
5. मोटल बालोतरा
6. मोटल फलौदी

परिशिष्ट-द

निगम की निम्न इकाइयों में होटल मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर प्रथम व द्वितीय चरण में प्रारम्भ करवा दी गई हैं

क्र.सं.	**इकाई का नाम व शहर**	**क्र.सं.**	**इकाई का नाम व शहर**
1	होटल गणगौर, जयपुर	7	होटल ढोलामरू, बीकानेर
2	होटल तीज, जयपुर	8	मोटल बहरोड
3	होटल स्वागतम, जयपुर	9	होटल सारस, भरतपुर
4	होटल खादिम, अजमेर	10	होटल चम्बल, कोटा
5	होटल घूमर, जोधपुर	11	होटल कजरी, उदयपुर
6	होटल मूमल, जैसलमेर	12	होटल शिखर, मा. आबू
निगम की निम्न इकाइयों में तृतीय चरण में प्रारम्भ करवाई जा रही हैं			
1	होटल सरोवर, पुष्कर	5	होटल पन्ना, चित्तौड़गढ़
2	गनहेडा, पुष्कर	6	होटल विनायक, सवाईमाधोपुर
3	होटल पनिहारी, पाली	7	होटल झूमर बावड़ी सवाईमाधोपुर
4	होटल गोकुल, नाथद्वारा	8	होटल टाईगर डेन, सरिस्का

निगम की शेष इकाइयों में अगले चरण में शीघ्र ही प्रारम्भ करवा दी जायेगी।

सादुलपुर के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

83. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला चूरू के नगरपालिका क्षेत्रों में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं इनमें से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों में तथा कितने निजी आवासों में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के नगरपालिका क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं तथा वे कहां-कहां संचालित हैं?

(3) क्या उक्त केन्द्रों का सरकार द्वारा निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो कब व उसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) चूरू जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में कुल 307 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनमें से कोई भी विभागीय भवनों में संचालित नहीं हैं। चूरू जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति निम्नानुसार है

क्र. सं.	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	संचालित केन्द्रों की संख्या		केन्द्र संचालन की स्थिति			
		आंगनबाड़ी केन्द्र	मिनी आंगनबाड़ी	स्कूलों में	सामुदायिक भवन में	निजी भवन में	किराये के भवन में
1	सरदारपुरा	46	0	10	2	0	34
2	सादुलपुर	31	0	4	0	0	27
3	तारानगर	25	0	7	1	0	17
4	रतननगर	8	0	0	0	0	8
5	चूरू शहर	87	4	0	0	12	75
6	सुजानगढ़	40	0	0	0	0	40
7	छापर	13	0	0	0	0	13
8	बीदासर	13	0	0	0	0	13
9	रतनगढ़	35	0	0	0	0	35
10	राजलदेसर	9	0	0	0	0	9
		307	4	21	3	12	271

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में नगरपालिका क्षेत्र में कुल 31 आंगनबाड़ी संचालित हैं, जिनमें से कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित नहीं है। इन केन्द्रों में से 4 केन्द्र राजकीय विद्यालयों में तथा शेष 27 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। सूची परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय-समय पर राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। 1 जनवरी, 2010 से जुलाई 2010 तक किये गये निरीक्षणों तथा उनकी स्थिति का वितरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, सरदारशहर शहर जिला चूरू
नगरपालिका क्षेत्र राजगढ़ (सादुलपुर) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्रमांक	न.पा.	केन्द्र संख्या व वार्ड नं.	कार्यकर्ता का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थान	भवन मालिक का नाम
1	राजगढ़	1	श्रीमती प्रेमकुमारी जाट	नायकों का मोहल्ला, सरावगी वगीची	राजेश कुमार
2	राजगढ़	2	श्रीमती राजबाला शर्मा	मोहता कालेज के पीछे	जितेन्द्र शर्मा
3	राजगढ़	3	श्रीमती सरोज	माता मंडी के पीछे	मंजू वर्मा
4	राजगढ़	4	श्रीमती मंजू सैनी	आथूणा मोहल्ला सैनियान लालकुई के पास	हनुमान
5	राजगढ़	5	श्रीमती नसीम	सरकारी होली टिब्बा के पास	जाकिर हुसैन
6	राजगढ़	6	श्रीमती राजबाला सोनी	राजकीय प्राथमिक वि् नं. 3	राजकीय विद्यालय
7	राजगढ़	7 I	श्रीमती प्रेमलता शर्मा	राजकीय प्राथमिक वि. फूलचंद राजगढिया	राजकीय विद्यालय
8	राजगढ़	7 II	श्रीमती मंजू रानी शर्मा	सती मंदिर के पास	राजवीर
9	राजगढ़	8	श्रीमती मंजू देवी शर्मा	हनुमान जी के मंदिर के पास	अंकित कुमार शर्मा

क्रमांक	न.पा.	केन्द्र संख्या व वार्ड नं.	कार्यकर्ता का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थान	भवन मालिक का नाम
10	राजगढ़	9	श्रीमती कौशल्या सैनी	आथूणा मोहल्ला कब्रिस्तान के पास	मो. सलीम
11	राजगढ़	10	श्रीमती मंजू शर्मा	राणी सती मंदिर के पास	कुलदीप
12	राजगढ़	11	श्रीमती नीलम शर्मा	लोको हनुमान मंदिर के पास	आनन्द शर्मा
13	राजगढ़	12	श्रीमती अंजना जाट	दमामियों की ढाणी सुभाष नगर	धर्मवीर जाट
14	राजगढ़	13	श्रीमती कृष्णा जाट	बहल रोड के पास	प्रदीप कुमार
15	राजगढ़	14	श्रीमती सीमा सैन	रा.उ.प्रा.वि. जयनारायण चंगोईवाला के पास	राजकीय विद्यालय
16	राजगढ़	15	श्रीमती सुनीता सैन	पुराना वास अशोक मार्केट	मधु राठौड़
17	राजगढ़	16	श्रीमती खातुन बानो	मो. नरेडियान ढेडी के ऊपर	आवाद अली
18	राजगढ़	17	श्रीमती संतोष नाई	सोनी नर्सिंग होम के पीछे नरडियान मोहल्ला	सीताराम चौहान
19	राजगढ़	18	श्रीमती नसरीन बानो	मोहल्ला, नरडियान	आरिफ वेग
20	राजगढ़	19	श्रीमती सुशील कुमारी	मदीना मस्जिद के पास	जाकिर हुसैन
21	राजगढ़	20	श्रीमती सुमन प्रजापत	हिसार रेलवे लाइन प्रजापत कालोनी	बोदन कुमार

क्रमांक	न.पा.	केन्द्र संख्या व वार्ड नं.	कार्यकर्ता का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थान	भवन मालिक का नाम
22	राजगढ़	21	श्रीमती कौशल्या प्रजापत	हिसार-भादरा रेल लाइन के पास	सत्य नारायण
23	राजगढ़	22	श्रीमती सुमन जाट	पुराने वाटरवर्कस की टंकी के पास मो खटीकान	धर्मवीर सिंह
24	राजगढ़	23	श्रीमती रामा देवी शर्मा	शीतला बाजार टीकमाणी मंदिर के पीछे	मणी देवी
25	राजगढ़	24	श्रीमती निर्मला शर्मा	रामदेव मंदिर के पीछे	कान्ता देवी
26	राजगढ़	25	श्रीमती विन्नों जाट	राम मंदिर के पीछे	तुलसी देवी
27	राजगढ़	26	श्रीमती उर्मिला देवी	श्री रतनलाल मोहता स्कूल के पास	रधुवीर सिंह
28	राजगढ़	27	श्रीमती सावित्री बाकोलिया	रा.उ.प्रा.वि. रतन लाल मोहता	राजकीय विद्यालय
29	राजगढ़	28	श्रीमती सुदेश धानक	धानकान मोहल्ला	नवनीत कुमार
30	राजगढ़	29	श्रीमती कविता मेघवाल	डी पी ई पी कार्यालय (भक्कड विद्यालय) के पीछे	सांवर मल
31	राजगढ़	30	श्रीमती सुनीता मीणा	नेतजी थान के पास	सुभाष

उपरोक्त सूची के अनुसार राजगढ़ (सादुलपुर) नगरपालिका क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 4 राजकीय प्रा. विद्यालयों में एवं शेष 27 किराये के भवनों में संचालित हैं।

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
चूरू (राज.)

परिशिष्ट 'ब'

नगरपालिका क्षेत्र राजगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों का किया गया निरीक्षण का विवरण

दिनांक	निरीक्षणकर्त्ता	केन्द्र का नाम जिसका निरीक्षण किया गया
4 व 5.4.10	बी.डी.ओ., राजगढ़	नगरपालिका क्षेत्र राजगढ़ के समस्त केन्द्रों का श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चूरू के निर्देशानुसार निरीक्षण किया गया। केन्द्रों पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
27.5.10	उप निदेशक आईसीडीएस, चूरू	राजगढ़ के केन्द्र संख्या 28 की शिकायत की जांच की गई।
14.1.10	बा.वि.परि.अधि., सरदारशहर	केन्द्र संख्या 15, 10, 25, 31 का निरीक्षण किया गया केन्द्र के रिकार्ड का संधारण सही करवाया गया। केन्द्रों पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।
03.02.10	बा.वि.परि.अधि., सरदारशहर	केन्द्र संख्या 8, 9 का निरीक्षण किया गया केन्द्र के रिकार्ड का संधारण सही करवाया गया। केन्द्रों पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।
11.03.10	बा.वि.परि.अधि., सरदारशहर	केन्द्र संख्या 6, 8, 7 का निरीक्षण किया गया केन्द्र के रिकार्ड का संधारण सही करवाया गया। केन्द्रों पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।
15.03.10	बा.वि.परि.अधि., सरदारशहर	केन्द्र संख्या 15, 10, 9 का निरीक्षण किया गया केन्द्र के रिकार्ड का संधारण सही करवाया गया। केन्द्रों पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।
12.04.10	बा.वि.परि.अधि., सरदारशहर	केन्द्र संख्या 15, 10, 7 का निरीक्षण किया गया केन्द्र के रिकार्ड का संधारण सही करवाया गया। केन्द्रों पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।
01.05.10	बा.वि.परि.अधि., सरदारशहर	केन्द्र संख्या 2, 3, 4 का निरीक्षण किया गया केन्द्र के रिकार्ड का संधारण सही करवाया गया। केन्द्रों पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।
16.06.10	बा.वि.परि.अधि., सरदारशहर	केन्द्र संख्या 29, 28, 23, 25 का निरीक्षण किया गया केन्द्र के रिकार्ड का संधारण सही करवाया गया। केन्द्रों पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।

दिनांक	निरीक्षणकर्ता	केन्द्र का नाम जिसका निरीक्षण किया गया
03.07.10	बा.वि.परि.अधि., सरदारशहर	केन्द्र संख्या 12, 15, 14 का निरीक्षण किया गया केन्द्र के रिकार्ड का संधारण सही करवाया गया। केन्द्रों पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।
19.07.10	बा.वि.परि.अधि., सरदारशहर	केन्द्र संख्या 13, 2 का निरीक्षण किया गया केन्द्र के रिकार्ड का संधारण सही करवाया गया। केन्द्रों पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।

जिला मुख्यालयों पर निर्मित किसान भवनों का संचालन

84. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों पर बनाये गये किसान भवनों के संचालन में कठिनाइयां आ रही हैं ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इन भवनों को संचालित किये जाने हेतु ठेके पर देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या-क्या निर्णय लिया तथा इन्हें किस-किस प्रकार के ठेके पर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

राजीव गांधी कृषक योजनान्तर्गत खेजड़ी से दुर्घटनाग्रस्त कृषकों को मुआवजा

85. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है राजीव गांधी कृषक योजनान्तर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर आर्थिक सहायता राशि जारी करने के मापदण्डों बनाये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील शेरगढ़ में वर्ष 2008 से जुलाई, 2010 तक उक्त

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

योजनान्तर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर आर्थिक सहायता हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई तथा कितने प्रकरण शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खेजड़ी का चारा मवेशी व पशुधन की चराई में काम आता है? क्या यह भी सही है कि खेजड़ी की सांगरी सब्जी बनाने के काम आती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे फसल कार्य में न मानकर खेजड़ी से गिरकर मरने वाले किसान को कृषक साथी योजना से वंचित करने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार खेजड़ी से गिरकर मरने व अंग भंग को पुनः उक्त योजना में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी योजना-2009 एवं निर्धारित मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट अ-1 व अ-2 पर संलग्न है।

(2) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जनवरी 2008 से जुलाई 2010 तक उक्त योजना के अन्तर्गत तहसील शेरगढ़ के कुल 67 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 51 प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाकर दावेदारों को राशि रु. 23,95,500/- की सहायता दी गई है, 12 आवेदन पत्र योजना के मापदण्डों में कवर नहीं होने के कारण निरस्त किए गए तथा 4 आवेदन पत्र लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी योजना-2009 में पत्र दिनांक 4 जून, 2010 के द्वारा संशोधन करते हुए योजना का लाभ ''कृषि सुरक्षा, पशु चराई हेतु पेडों की छंगाई, कृषि की रखवाली करते हुए दुर्घटना घटित होने पर'' दिया जाना अनुमत कर दिया है।

(4) उपरोक्तानुसार ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख के प्रस्ताव)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुणसार, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर पर ग्रामीणों द्वारा विद्यालय के ताला लगाकर धरना देने विषयक

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुणसार, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर पर ग्रामीणों द्वारा विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर गत 20 दिनों से समस्त ग्रामवासी धरने पर बैठे हैं, जिसके कारण विद्यालय में न तो विद्यार्थी जा सकते हैं, न ही अध्यापक विद्यालय में घुस सकते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का राज्य सरकार द्वारा किया गया स्थानांतरण निरस्त किया जावे तथा विद्यालय में पर्याप्त अध्यापक लगाये जावें। इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय, अलवर, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार से मिल कर ज्ञापन सौंपा गया है तथा माननीय मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय को भी ज्ञापन की प्रति फैक्स के माध्यम से भेजी गई है, परन्तु सरकार द्वारा ग्रामीणों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, न ही संतोषजनक आश्वासन दिया जा रहा है जिससे छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है तथा इससे जन आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीबीरानी (कोटकासिम) में वर्तमान में 1700 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा सभी विषयों का परीक्षा परिणाम भी 90 प्रतिशत से अधिक रहता है तथा इस विद्यालय में आने वाले छात्र-छात्राएं राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुणसार, पाटन अहीर, पुर, करवड, राईखेड़ा आदि से आते हैं जिनका शैक्षिक स्तर अच्छा रहता है तथा गुणसार ग्राम से दो छात्रों का आई.आई.टी. में इसी वर्ष अध्ययन हेतु प्रवेश हुआ है। क्षेत्र की जनता सभी राजकीय विद्यालयों में अच्छा वातावरण बनाने में तथा शैक्षिक कंपीटीशन में योगदान रहता है तथा भवन आदि भी सभी विद्यालयों में जन सहयोग से बनाये गये हैं।

अतः क्षेत्र का शैक्षिक माहौल नहीं बिगड़े तथा जन आक्रोश समाप्त हो, इस हेतु मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि राज्य सरकार ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर स्वीकार करें तथा इस शैक्षिक माहौल को खराब करने में जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे।

रामहेत सिंह यादव

(किशनगढ़बास)

जयपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय का नाम बदले जाने विषयक

महोदय,

जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिये एक सरकारी अस्पताल गणगौरी बाजार में खोला गया था। जिसका नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय रखा गया था। वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदल कर गणगौरी बाजार राजकीय चिकित्सालय कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री महोदयजी ने अपने भाषण में कहा था कि किसी भी सरकारी संस्था, अस्पताल, स्कूल का नाम महापुरुष के नाम पर रखे जाने पर बदले की भावना से नहीं हटाया जायेगा। उसके उपरांत भी सरकार ने इसका नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय से परिवर्तित कर गणगौरी बाजार राजकीय चिकित्सालय कर दिया, जो कि मुख्य मंत्री महोदय की भावना के विपरीत है। इस अस्पताल को सवाई मानसिंह चिकित्सालय से संबंधित किया गया था। जिसके अनुसार हर विभाग की दो-दो यूनिट स्थापित होनी चाहिये थीं। किन्तु यहां पर कुछ विभागों की ही यूनिट स्थापित की गयी हैं।

इसके साथ ही इस अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसायटी का गठन, आपातकालीन सुविधा, लाइफ लाइन औषधि केन्द्र में सुधार के साथ विभिन्न प्रकार की जांचों की मशीने लगायी जावें। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य डाक्टरों की नियुक्ति शीघ्र की जावे।

इस अस्पताल के वर्तमान अधीक्षक द्वारा विभिन्न मद की राशियों का उपयोग मनमाने तरीके से किया जा रहा है। जिसमें अधीक्षक कक्ष, मंदिर, फिजियोथैरेपी कक्ष, रसोइघर, शौचालय, मूत्रालय, नर्सिंग स्टाफ क्वार्टर निर्माण इत्यादि। जिसके कारण काफी राशि का अपव्यय हो रहा है।

अतः मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस चिकित्सालय का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय ही रखा जाये तथा इसमें अन्य सुविधाएं एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय की यूनिट बढ़ाकर जयपुर क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करने का कष्ट करें।

मोहनलाल गुप्ता

(किशनपोल)

बुहाना तथा नवलगढ़ (झुन्झुनूं) के मंत्रालयिक कर्मचारियों के रुके हुए वेतन विषयक

महोदय,

महोदय जिला झुन्झुनूं की तहसील मुख्यालय बुहाना तथा नवलगढ़ के मंत्रालयिक कर्मचारियों के रूके वेतन के बारे में मैं आपका ध्यान इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जो कि निम्न प्रकार है :-

मान्यवर तहसील बुहाना के माह जुलाई 2002 से जुलाई 2005 तक किन-किन मंत्रायलिक कर्मचारियों का वेतन रोक रखा है तथा क्यों रोका गया है जिसके कारण स्पष्ट करें। इसी प्रकार क्या जिला कलक्टर महोदय ने उक्त कर्मचारियों की छुट्टियों की जांच कर उन्हें स्वीकृति दी है तथा उनके वेतन बिल संख्या 20 दिनांक 15 जुलाई, 2009 को बनाकर कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने हेतु आदेश दिया है। यदि हां, तो उक्त भुगतान आज तक क्यों नहीं दिया गया है तथा तहसील बुहाना का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा और उक्त प्रकरण में भुगतान में देरी करने संबंधित दोषी कर्मचारी व अधिकारियों को जिन्हें कलक्टर महोदय जिला झुन्झुनूं के आदेश के उपरान्त भी आज तक भुगतान नहीं किया गया है, निर्दोषित मानते हुए उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है।

इसी प्रकार इनमें से एक प्रकरण में एक मंत्रालयिक कर्मचारी का स्थानान्तरण तहसील नवलगढ़ में कर दिया गया जिसमें भी उन्हें वेतन का भुगतान भी इसलिए नहीं किया जा रहा है कि पिछले तहसील बुहाना से रिकार्ड नहीं आने से वर्तमान में नवलगढ़ तहसीलदार महोदय को भी दिक्कत आ रही हैं जिसकी वजह से कर्मचारी को छठे वेतनमान को फिक्ससेसन करने में परेशानी हो रही है जिसकी वजह से कर्मचारी के वित्तीय आर्थिक हालातों से तंग होना पड़ रहा है। चूंकि ये कर्मचारी रिटायरमेंट के मात्र कुछ ही महीने बचे होने के कारण अपनी अन्य जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हो रहा है तथा

वर्तमान में पिछले काफी समय से हार्ट अटैक से प्रभावित होने के कारण तंगावस्था से गुजर रहा है जिसकी वजह से उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी बार-बार जिला कलक्टर, दोनों तहसीलदारों को गुहार लगा चुका है किन्तु कही भी सुनवाई नहीं होने के कारणवश आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ सकता है।

अत: निवेदन है कि उक्त कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान शीघ्रातिशीध्र करने का आदेश देवें तथा साथ ही छठे वेतनमान का पूर्ण लाभ उनके सेवानिवृत्त होने के पूर्व ही दिया जाने के आदेश प्रदान करें, इसी आशा के साथ, धन्यवाद।

श्रवण कुमार

(सूरजगढ़)

श्रीगंगानगर में ओवरब्रिज का निर्माण न कराये जाने विषयक

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर निवासियों की लम्बे समय से लम्बित ओवर ब्रिज की मांग को लेकर राज्य सरकार गम्भीर नहीं है। श्रीगंगानगर के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारे पडौसी जिले हनुमानगढ़ में दो ओवरब्रिज बना दिये गये हैं। पंजाब व पाकिस्तान की लगती सीमा के साथ श्रीगंगानगर में लम्बित ओवर ब्रिज की मांग पूरी नहीं हो रही है। आजाद सिनेमा फाटक पर व राजकीय, अंबेडकर महाविद्यालय के पास फाटक पर दो ओवरब्रिज की महत्ती आवश्यकता है। आजाद सिनेमा फाटक जो घंटों तक बंद रहता है। 8-8 शिक्षण संस्थायें, आर्मी के 3-3 स्टेशन होने की वजह से सेना, विद्यार्थियों व आम लोगों को घंटों तक फाटक पर रूकना पड़ता है। इससे कई बार तो विद्यार्थी परीक्षा आदि में भी नहीं बैठ पाते हैं तथा सेना व आम नागरिकों का समय व्यर्थ जाता है।

जून माह में एक उच्च स्तरीय बैठक में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था कि आजाद सिनेमा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिडकोर द्वारा जल्दी से जल्दी बनाई जावे। रिडकोर के अधिकारियों को यह रिपोर्ट सौंप भी दी गई है। रेलवे ओवरब्रिजों की फिजीबिलिटी रिपोर्ट व डीपीआर

के अन्तर्गत जिसे रेलवे फाटक से मापदण्डानुसार वाहन गुजरते हैं, उसी गेट पर ओवरब्रिज बनाया जा सकता है। श्रीगंगानगर के इस आजाद सिनेमा के फाटक व राजकीय अंबेडकर महाविद्यालय के पास फाटक पर वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक होती है। इसलिये दोनों ओवरब्रिजों का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि लोक महत्व के इस मुद्दे तथा वर्षों से लम्बित श्रीगंगानगर निवासियों की मांग को पूर्ण कर आजाद सिनेमा फाटक पर व राजकीय अंबेडकर महाविद्यालय के पास फाटक पर दो ओवरब्रिजों का निर्माण अतिशीघ्र करवाया जावे।

राधेश्याम गंगानगर

(श्रीगंगानगर)

जायल के सीमावर्ती गांवों के बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने विषयक

महोदय,

मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के सीमावृती ग्रामों, ढाणियों एवं बी.पी.एल. चयनित परिवारों के विद्युत कनेक्शन की जानकारी प्राप्त करना चाहती हूं। साथ ही ऐसे केसेज की जानकारी चाहती हूं जो कि चार-चार माह पूर्व से मांग पत्र की राशि जमा करवाने के बावजूद उन्हें विद्युत कनेक्शन मुहैया नहीं करवाये जाते हैं और उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि अभी सामान नहीं आया हुआ है जिससे ग्रामीण कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं।

मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि जायल क्षेत्र में चयनित परिवारों के विद्युत कनेक्शन की क्या स्थिति है? कितने हुए हैं, कितने शेष हैं और जो शेष हैं वह कब तक जुड़ेंगे?

राजीव गांधी विद्युत योजना का कार्य किन-किन गांवों में चल रहा है तथा क्या सही मानदण्डों के अनुसार कार्य हो रहा है? जानकारी दिलाते हुए शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

आदर सहित।

श्रीमती मंजू देवी

(जायल)

कोटा शहर में सड़कों की दुर्दशा तथा स्ट्रीट लाइटों के ठीक नहीं होने एवं आवारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र तथा कोटा शहर की हो रही दुर्दशा की और राज्य सरकार एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि राज्य की शैक्षणिक नगरी कोटा की आज हालत बद से बदतर हो रही है, शहर की तमाम सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं जिनकी देखरेख करने वाला कोई धणी-धोरी नहीं है, नगर निगम एवं नगर विकास विकास न्यास के अधिकारी मात्र अपनी स्वार्थपूर्ति में लीन हैं और अपनी मनमर्जी से ठेकेदारों से मिलीभगत कर सरकार को चूना लगाने में रत हैं। आज शहर की हर सड़क पर गड्ढे पड़े हैं, सड़कें पिछले दो वर्षों में जो बनी हैं उनकी हालत देखने लायक है, राहगीरों को आने-जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, बीमार एवं गर्भवती महिलाओं को तो बदतर हालत में सड़क से गुजरना पड़ता है, प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला की दयनीय हालत को देख कर इस सरकार पर रोना आता है कि ऐसी कैसी लोक कल्याण का दावा करने वाली सरकार है और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का स्वयं का क्षेत्र होते हुए कोटा शहर आज सायंकाल के बाद अंधेरे में डूबा रहता है, स्ट्रीट लाइटों के ठेके ऐसी फर्मों एवं व्यक्तियों को मिलीभगत कर दिये हुए हैं जो कोई काम समय पर नहीं कर रहे हैं, सड़कों की दुर्दशा एवं आवारा पशुओं के इधर-उधर घूमते रहने से कई दुर्घटनाएं शहर में हो चुकी हैं परन्तु नगर निगम एवं नगर विकास न्यास के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आवारा पशुओं से आम जनता को बचाने के लिए कोई ठोस उपाय कोटा शहर में अब तक इस सरकार ने नहीं किये हैं, न ही शहर को रोशन रखने की पुख्ता जिम्मेदारी किसी उच्च अधिकारी पर डाली गई है एवं सड़कों के मामले में तो इस सरकार की लापरवाही एवं अकर्मण्यता किसी से छिपी हुई नहीं है, स्वयं मुख्य मंत्री महोदय तक राज्य की खस्ता हाल सड़कों के मामले में दु:खी हैं।

अतएव इस नियम 295 के तहत अत्यन्त लोक महत्व के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार एवं स्वायत्त शासन मंत्री से

पुरजोर शब्दों में कोटा शहर की आम जनता की ओर से मांग करता हूं कि शहर की सडकों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का एक विशेष अभियान चला कर मुख्य मार्गों व गलियों की सड़कों को तुरन्त दुरुस्त किया जाय, शहर में घूमने वाले आवारा पशुाअें से एवं स्ट्रीट लाइटों की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने से शहर के अंधेरे में डूबे रहने से होने वाली दुर्घटनाओं से आम जनता को निजात दिलाने हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाकर राज्य की शैक्षणिक नगरी कोटा को राहत दिलाई जाये तथा व्यवस्था करने में लापरवाही बरतने वाले नगर विकास न्यास एवं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद।

ओम बिरला

(कोटा दक्षिण)

रामगढ़ (अलवर) में सड़कों के अतिक्रमण हटाने विषयक

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व सत्र में 295 के माध्मय से मेरे क्षेत्र में सड़कों पर हो रहे भारी अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था, किन्तु खेद का विषय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शायद विधान सभा में चल रही किसी भी कार्यवाही या आदेश की कोई परवाह ही नहीं है उनके कान पर जूं रेंगी न मच्छर न कोई चिंता हुई है। सड़कों एवं चौराहे पर भारी अतिक्रमण आज भी जारी है।

मेरी ओर से श्रीमान विधान सभा अध्यक्ष महोदय को विशेष अति विशेष, भारी मन से निवेदन है कि कृपा कर इन अतिक्रमण को हटाया जावे एवं क्षेत्र को साफ सुन्दर किया जावे। ये सड़कें एवं चौराहे हैं :- 01 मुबारिकपुर खोहडा करमाली, 02 मुबारिकपुर बांधोली वाया गडी धनेटा, 03 नौ गांवों से मुबारिकपुर, 04 नौ गांवों से रसगण, 05 हरियाणा बार्डर रामगढ़, 06 रामगढ़ से बागड़ तिराया, 07 पूरा बागड तिराया चौराहा, 08 रामगढ़ से गोविन्दगढ़, 09 गोविन्दगढ़ से सीकरी रोड, 10 गोविन्दगढ़ से जालूकी, 11 रामगढ़ से नौगांवा वाया अलावडा, चोमां चीडवा, 12 जालूकी से बागड तिराया, 13 बिलाई अलवर रोड भरतपुर वाया खूंटेटा खुर्द वाया बाम्बोली खूंटेटा कलां, 14 खूंटेटा कलां घाट होकर अलवर भरतपुर रोड, 15 बडोद मेव से निजाम नगर होकर मंगलेश्पुर होकर चिडवई तक, 16 नसवारी मोड़ से ईन्दपुर, 17 बडोदा मेव

दीनार बडोद मेव से लुटियाना, 18 रामगढ़ से ललावडी सेंथली चांवड तक, 19 रामगढ़ दिल्ली रोड से बांदली रोड, 20 रामगढ़ बहादुरपुर रोड, 21 रामगढ़ से डोली होकर जुगरावर, 22 बगड तिराया, शीतला चौराहा, अतिरिया बांध तिराया, बडोदा मेव कस्बा, रामगढ़ कस्बा गोविन्दगढ़ कस्बा, नौगांवां कस्बा, मुबारिक कस्बा।

ज्ञानदेव आहूजा

रामगढ़ (अलवर)

स्थायी हुए व्याख्याताओं, प्राचार्यों, उप प्राचार्यों का छठे वेतनमान में स्थिरीकरण न करने विषयक

महोदय,

राजस्थान के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को छठे वेतनमान की घोषणा तो सरकार ने कर दी। परन्तु अभी तक 1995 में अध्यादेश से स्थायी हुए व्याख्याताओं को पेंशन पाये प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं व्याख्याताओं का नये वेतनमान में स्थिरीकरण अब तक नहीं किया गया है। पीएचडी शिक्षकों के प्रेरक लाभों का भी मनमाना स्पष्टीकरण करके अवैध तरीके से रिकवरी की जा रही है। यूजीसी के शर्तो की पालना न करने के कारण यूजीसी ने 671 करोड़ रुपये के अनुदान रोक रखा है। वित्त विभाग की हठधर्मिता के कारण शिक्षक बिना वेतनमान लाभ के रिटायर हो रहे हैं।

विलम्ब के कारण यूजीसी से पूरा अनुदान प्राप्त करने में भी सरकार विफल रही है। सरकार को वंचित शिक्षकों को तत्काल स्थिरीकण करके नये वेतनमान का लाभ देना चाहिये। साथ ही अन्य राज्यो की तुलना में व्याख्याताओं के लाभों में कटौती करने से शिक्षकों में रोष व्याप्त है। सरकार तत्काल रिकवरी रोक कर प्रभावी कदम उठावे तथा मनमाने अर्थ लगाकर अड़चन लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे। पीएचडी के प्रेरक लाभों को वित्त विभाग दोहरा लाभ मान रहा है, वे लाभ देश के सभी प्रदेश के शिक्षकों का यूजीसी के आदेश अनुरूप दिये जा रहे हैं। फिर राजस्थान के शिक्षकों को वंचित क्यों रखा जा रहा है। यह लाभ यूजीसी स्कीम के अंगीभूत प्रावधान है।

डा. फूलचन्द भिण्डा

(विराटनगर)

नगर में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की दुर्घटना-मृत्यु पर प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव सुंदरावली में 2 एस.सी. एवं गांव मूंडौती में एक एस.टी की प्रशासन की लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई। यदि प्रशासन इन दोनों प्रकरणों में समय रहते ध्यान देता तो कहीं तक इनकी जान बच सकती थी। पहला सुदरावली में जहां एक बकरी का बच्चा कूआ में गिर गया था उसको बचाने के लिये मरने वाले दोनों बाप बेटा जो कि एस.सी. वर्ग के थे कूए में उतरे और कूए में जहरीली गैस बनने से दोनों की जान चली गई जबकि सरकर के जलदाय विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा बरसात के मौसम में सभी कूएं एवं तालाबों में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक दवा डालने हेतु निर्देशित किया हुआ होता है लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे कूएं में जहरीली गैस बन जाने से दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। कलक्टर ने जांच नहीं करायी, जनता के ज्ञापन भी दिया। ऐसे ही गांव मूडौती में एक मीणा परिवार का व्यक्ति अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए तालाब पर गया और तालाब में डूब गया एवं 17-18 घंटे तक प्रशासन गांव के ही गोताखोरों द्वारा उस व्यक्ति को तालाब से निकालने की कोशिश करते रहे तब कहीं जाकर जिले से आये गोताखारों द्वारा उस व्यक्ति की लाश तालाब से बाहर निकाली गई। इसमें भी प्रशासन की घोर लापरवाही रही जिसमें उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। वैसे भी आम तौर पर भरतपुर बाढ़ का क्षेत्र है और जिले में बाढ़ राहत के तैराकों की संख्या कम है जिस कारण प्रशासन की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण गरीब आदमियों की जान चली जाती है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों प्रकरणों में प्रशासन की ओर से जिम्मेदार रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाये और जनहानि को रोकने के प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किये जायें एवं साथ में पहले वाले प्रकरण मे मरने वाले पिता-पुत्र जो कि बी.पी.एल. परिवार से था लेकिन दोनों पिता-पुत्रों को कुल 20,000 रु. की सहायता दी गई जो कि बहुत कम है जबकि बी.पी.एल. को 50000 रु. की सहायता राशि का प्रावधान है जिसको बढ़ाकर 100000 रु किया जाये और दोनों पिता-पुत्र को 100000-100000 का मुआवजा दिलवाया जाये एवं दूसरे प्रकरण में जो कि

एस.टी. वर्ग से था जो कि बी.पी.एल. में नहीं था जिसमें 20000 की सहायता राशि का प्रावधान है को बढ़ाकर 50000 किया जाकर उक्त को 50000 की सहायता राशि मुआवजे के तौर पर दी जाये।

अनीता सिंह

(नगर)

जोधपुर डिस्काम द्वारा किसानों को ट्यूबवैलों पर कृषि कनेक्शन दिये जाने के लिए थ्री स्टार मोटर व ड्रिप सिस्टम की अनिवार्यता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं अपके माध्यम से जोधपुर डिस्काम के अन्तर्गत पड़ने वाले हनुमानगढ़ तथा गंगानगर के किसानों को टयूबवैलों पर कृषि कनेक्शन दिये जाने के लिए थ्री स्टार रेटिंग विद्युत मोटर, फंव्वारा व ड्रीप पद्धति तथा डिग्गी निर्माण जैसी अनिवार्यता से किसानों को रहे रहे भारी परेशानी की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जल संसाधन मंत्री तथा जोधपुर डिस्काम के द्वारा एक महिने पहले दिये गये आश्वासन के बावजूद अभी तक उपरोक्त शर्ते पूर्णतया हटाई नहीं गयी, जिसकी वजह से सभी किसान पसोपेश की स्थिति में हैं। इससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विभागीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा मौखिक आदेश का बहना बनाकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा हैं तथा उन्हें कृषि कनेक्शन देने के लिए आये दिन कार्यालयों के चक्कर कटाये जा रहे हैं। कहीं कहीं तो डिमाण्ड राशि जमा करवाने के बावजूद भी कृषि कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

घग्घर क्षेत्र में उगाई जाने वाली धान की फसल को तो खड़े पानी की आवश्यकता रहती है जिसमें फव्वारा व ड्रिप पद्धति से फसल पकाना सम्भव नहीं है। यह बात जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी स्वीकार की है।

अत: मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस गम्भीर विषय के बीच पैदा हुई असमंजस्य की स्थिति को समाप्त कर राहत प्रदान करने का कार्य करें।

सादर।

अभिषेक मटोरिया

(नोहर)

बहरोड विधान सभा क्षेत्र में बिजली की कमी के कारण किसानों को हो रही परेशानी बाबत

मेरे विधान सभा क्षेत्र बहरोड में बिजली की भारी परेशानी है जिसका मुख्य कारण है। उपभोक्ता को समय पर ट्रान्सफार्मर नहीं मिलना, जब भी किसी उपभोक्ता व किसान का सिंचाई कनेक्शन व घरेलू कनेक्शन का ट्रान्सफार्मर जल जाता है, तो उस उपभोक्ता को बिजली दफ्तर का बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन महीनो तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता और उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ता है। इससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है और भविष्य खराब हो रहा है। यहां तक कि कई दिनों तक पीने के पानी के लिये तड़पना पड़ता है। इसी तरह कृषि कनेक्शन का ट्रांसफार्मर जरा सा भी खराब हो जाता है तो उपभोक्ता को आफिस भेजना पड़ता है उपभोक्ता टेक्नीकल हैण्ड होता नहीं इससे बहुत बार दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। जब कृषि कनेक्शन का ट्रांसफार्मर महीनों नहीं मिलता है। बिजली विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं और उपभोक्ता को बहुत ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह गांवों में बिजली दिन में नहीं मिल रही तथा रात को भी कभी बिजली आती है, कभी नहीं आती है।

अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि बिजली की व्यवस्था सुचारू हो तथा तुरन्त प्रभाव से ट्रांसफार्मर उपभोक्ता को मिले।

डा. जसवन्त सिंह यादव
(बहरोड)

सिरोही-मण्डार राजमार्ग के खतरनाक घुमावों को ठीक करने बाबत

महोदय,

राज्य सरकार ने सिरोही-मण्डोर राज्य मार्ग के सुदृढ़ीकरण व घुमाव को समाप्त करने के लिये इस मार्ग को टोल रोड घोषित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है। जनता को विश्वास था कि अब इस मार्ग पर जो भी एक्सीटेंड जोन हैं उसमें घुमाव सीधे हो जाएंगे व दुर्घाटनाओं पर रोकथाम लगेगी किन्तु अब यह देखा जा रहा है कि इस मार्ग पर अभी भी कई खतरनाक घुमाव (विकट मोड़) ऐसे हैं जिनको ठीक करने की तरफ तकनीकी अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

अभी हाल ही में डबाणी गांव में नदी पर जो पुलिया बनाया है उस पर घुमाव सही नहीं करने से नया पुलिया कितनी बार क्षतिग्रस्त हो गया है व

कितने एक्सीडेंट पिछले दो माह में हुए इसकी रिपोर्ट आप पुलिस व सार्वजनिक निर्माण विभाग से मंगवावें। इस स्थल पर अनेक लोगों को बेमौत मरना पड़ रहा है तथा लाखों रुपयों की धन हानि प्रत्येक एक्सीटेंड में हो रहा है।

जब इस मार्ग पर जनता 12 वर्ष तक टोल टैक्स देगी तो फिर इन घुमावों को क्यों नहीं सुधार कार्यक्रम के प्रोजेक्ट में शामिल किया गया यह जांच का विषय है। आप तकनीकी अधिकारियों का एक दल गठित कर इस मार्ग के प्रोजेक्ट में जो कमियां रह गई हैं उसकी जांच एक दल को मौके पर भेजकर करवावें ताकि यह मार्ग ठीक हो सके व वास्तव में रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर अंकुश लग सके।

अतः आप डबाणी पुलियों को टू वे बनाने या इसके डबल कराने का आदेश अधिकारियों को प्रदान करावें ताकि इस पुलियां पर दुर्घटनाओं पर पूरी तरह से रोकथाम लग सके।

आशा है आप इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस संबंध में मौके की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाकर जो कमियां रह गई हैं, उसे इसी प्रोजेक्ट में शामिल करवाने का श्रम करायेंगे।

जगसीराम कोली

(रेवदर)